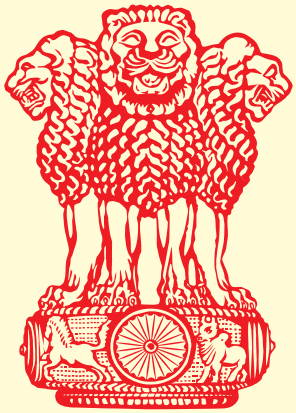

सत्यमेव जयते

वित्त लेखे (खण्ड-I)

2021-22

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

हरियाणा सरकार

वित्त लेखे (खण्ड-I)

2021-22

हरियाणा सरकार

विषय सारणी

	विषय	पृष्ठ
	खण्ड-।	
•	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	(iii) – (vii)
•	वित्त लेखों की मार्गदर्शिका	(ix-xv)
1	वित्तीय स्थिति की विवरणी	2-3
2	प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी	4-9
3	प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)	10-12
4	व्यय की विवरणी (समेकित निधि)	13-19
5	प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी	20-25
6	उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी	26-29
7	सरकार द्वारा दिये गये कर्जों तथा अग्रिमों की विवरणी	30-32
8	सरकार के निवेशों की विवरणी	33
9	सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विवरणी	34
10	राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी	35-36
11	प्रभारित और दत्तमत व्यय की विवरणी	37
12	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के उपयोग की विवरणी	38-40
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक-लेखे के अन्तर्गत शेषों का सारांश	41-44
•	वर्ष 2021-22 के लिए वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ	45-58
	खण्ड-।।	
	भाग-।	
14	लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी	61-92
15	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी	93-146
16	लघु शीर्ष तथा उप-शीर्षवार पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी	147-190
17	उधारों तथा अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणी	191-211
18	सरकार द्वारा दिए गए कर्जों तथा अग्रिमों की विस्तृत विवरणी	212-242
19	सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी	243-263
20	सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विस्तृत विवरणी	264-270
21	आकस्मिकता निधि तथा लोक-लेखे के अन्य लेने-देनों की विस्तृत विवरणी	271-284
22	पृथक रक्षित शेषों के निवेश पर विस्तृत विवरणी	285-292

विषय सारणी

	विषय	पृष्ठ
	खण्ड-II	
	भाग-II : परिशिष्ट	
I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय	295-306
II	आर्थिक सहायता पर तुलनात्मक व्यय	307-312
III	राज्य सरकार द्वारा सहायतानुदान/सहायता (संस्था तथा योजना अनुसार)	313-335
IV	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण	336-337
V	योजनाओं पर व्यय क- केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं एवं केन्द्रीय योजनाएं) ख- राज्य योजनाएं	338-343
VI	राज्य में कार्यान्वित संस्थाओं को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा हस्तान्तरण (राज्य बजट से बाहर निधियों का हस्तान्तरण) (लेखा परीक्षा रहित आंकड़े)	344-346
VII	शेषों की स्वीकार्यता एवं मिलान	347-349
VIII	सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	350-353
IX	सरकार की वचनबद्धताएं - अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सूची	354-379
X	वेतनगत व वेतनेत्तर मदों पर पृथक्करण सहित रख-रखाव पर व्यय	380-384
XI	वर्ष के दौरान वृहद नितिगत निर्णय अथवा बजट में प्रस्तावित नई योजनाएं	385
XII	सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं	386-389
XIII	राज्यों का पुनर्गठन- मदें जहां राज्यों में शेषों के आबंटन को अन्तिम रूप नही दिया गया	390

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार की वर्ष की प्राप्तियों और संवितरणों के वित्त लेखों जिनमें संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से / में लेन-देन वाले संव्यवहार सम्मिलित हैं, के साथ वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं। वित्त लेखाओं के संकलन में दो खंड शामिल हैं; खंड-। में वित्त की स्थिति की समेकित स्थिति और 'वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां' शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश शामिल है और खंड - ।। लेखाओं को विस्तार से दर्शाता है। वर्ष के लिए अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु सरकार के विनियोग लेखे, जो बजट तुलना का प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग से प्रस्तुत किए गए हैं ।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, 'वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों' के साथ पढ़े जाने वाले वित्त लेखे उचित वित्तीय स्थिति और वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सरकार की प्राप्तियां और संवितरण प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं की लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से प्राप्त टिप्पणियां 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही हरियाणा सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे हरियाणा सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे वित्त लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए हरियाणा के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत हरियाणा के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और हरियाणा सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

इस संकलन में विवरण (8, 9, 19 तथा 20) और परिशिष्ट (IV, VI, VIII, IX, X, XI, XII एवं XIII) सीधे हरियाणा सरकार एवं संघ सरकार से प्राप्त जानकारी से तैयार किए गए हैं जो ऐसी जानकारी के लिए उत्तरदायी हैं।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।

मामले का महत्व

मैं,

हरियाणा सरकार का आन्तरिक ऋण (₹ 2,26,208.25 करोड़)

हरियाणा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2005 के पैरा 10(3) के अनुसार, जब भी राज्य सरकार किसी अलग कानूनी इकाई की देयताओं को बिना शर्त और पर्याप्त रूप से चुकाने का उपक्रम करती है तो उसे ऐसी देयताओं को राज्य की उधारी के रूप में दर्शाना होता है। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.एच.सी.एल.) के द्वारा लिए गए ऋण (₹ 823.30 करोड़, जिसमें से ₹ 21.30 करोड़ वर्ष 2021-22 के दौरान जुटाए गए) के पुर्नभुगतान की राज्य सरकार की देयताओं को लेखाओं में हरियाणा सरकार के कर्ज के रूप में नहीं दर्शाया गया। [वित्त लेखाओं की विवरणी 6]

पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

'मामले के महत्व' खंड के कारण वित्त लेखाओं पर मेरे अभिमत संशोधित नहीं हुए।

दिनांकः 6 दिसम्बर 2022
स्थानः नई दिल्ली

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

वित्त लेखों की मार्गदर्शिका

क. शासकीय लेखों की संरचना का विस्तृत अवलोकन

1. हरियाणा राज्य के वित्त लेखे, राजस्व एवं पूंजीगत लेखों के वित्तीय परिणामों, लोक- ऋण तथा लेखों में दर्ज शेषों से तैयार की गई देनदारियों तथा सम्पत्तियों सहित, वर्ष के दौरान सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों को दर्शाते हैं, जैसा कि राज्य सरकार के खातों में दर्ज शेष राशि से निकाला गया है। वित्त लेखे विनियोग लेखों के साथ होते हैं जो अनुदानों /विनियोगों के प्रति व्यय की तुलना प्रस्तुत करते हैं।

2. शासकीय लेखे निम्न तीन भागों में रखे जाते हैः

भाग-I: समेकित निधिः इस निधि में, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, ऋण-पत्र, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त अर्थोपाय अग्रिम एवं ऋणों की वापसी के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन सम्मिलित हैं। इस निधि से, भारत के संविधान में निहित विधि एवं उद्देश्य के अतिरिक्त कोई धन आहरित नहीं किया जा सकता। कुछ व्यय (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋणों की पुर्नादायगी आदि) राज्य सरकार की समेकित निधि पर भारित (भारित व्यय) होते हैं एवं विधान मण्डल के अनुमोदन के विषय नहीं हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधान मण्डल द्वारा पारित होते हैं।

समेकित निधि में दो भाग होते हैं- राजस्व एवं पूंजीगत (लोकऋण, कर्ज एवं अग्रिम सहित)। इन्हें आगे, 'प्राप्तियां' एवं 'व्यय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्तियां अनुभाग, तीन खण्डों में बांटा गया है, जैसे- 'कर राजस्व', 'करेतर राजस्व' एवं 'सहायतानुदान तथा अंशदान' । इन तीन खण्डों को आगे उप-खण्डों जैसे - 'वस्तु एवं सेवा कर', 'आय तथा व्यय पर कर', 'राजकोषीय सेवाएं' इत्यादि में बांटा गया है। पूंजीगत प्राप्तियाँ - अनुभाग में कोई खण्ड अथवा उप-खण्ड नहीं होते हैं । राजस्व व्यय अनुभाग को चार खण्डों में बांटा गया हैं जैसे- 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं' एवं 'सहायतानुदान' तथा 'अंशदान'। राजस्व व्यय अनुभाग में इन खण्डों को आगे उप खण्डों जैसे-'राज्य के अंग', 'शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति' आदि में विभाजित किया गया है । पूंजीगत व्यय भाग आगे सात खण्डों जैसे 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं', 'लोक ऋण', 'कर्ज एवं अग्रिम' , 'अर्न्तराज्यीय समायोजन' तथा 'आकस्मिकता निधि' को अन्तरण में विभाजित किया गया है।

भाग-II : आकस्मिकता निधि : यह निधि अग्रदाय स्वरूप की है जो कि राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित विधि के अनुसार स्थापित की गई है तथा इसे राज्यपाल के अधिकार में रखा गया है ताकि राज्य विधान मण्डल के अनुमोदन के लम्बित रहते आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान किया जा सके। इस निधि को राज्य सरकार की समेकित निधि से, संबंधित क्रियाशील मुख्य शीर्ष में व्यय दर्ज करके प्रतिपूर्ति किया जाता है। हरियाणा सरकार की वर्ष 2021-22 की आकस्मिक निधि ₹ 1,000.00 करोड़ है।

भाग-III: लोक लेखा: सरकार द्वारा अथवा सरकार के पक्ष में प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन, जहाँ सरकार एक बैंकर अथवा न्यासी की भूमिका निभाती है, लोक लेखा में जमा किए जाते हैं। लोक लेखा में, लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण तथा उचन्त शीर्ष (जो कि दोनों, अंतिम बुकिंग के लम्बित रहते अस्थाई शीर्ष हैं) जैसे प्रतिदेय योग्य सम्मिलित हैं। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध रोकड़ शेष भी लोक लेखा में सम्मिलित होता है। लोक-लेखा में छः खण्ड जैसे: 'लघु बचते, भविष्य निधियाँ इत्यादि,' 'आरक्षित निधियाँ,' 'जमा तथा अग्रिम,' 'उचन्त तथा विविध', 'प्रेषण' तथा 'रोकड़ शेष' सम्मिलित हैं। ये खण्ड आगे उप खण्डों में विभाजित होते हैं। लोक लेखा, विधान मण्डल के अनुमोदन का विषय नहीं है।

3. शासकीय लेखे, छःस्तरीय वर्गीकरण जैसे: मुख्य शीर्ष (चार अंक), उप-मुख्य शीर्ष (दो अंक), लघु शीर्ष (तीन अंक), उप-शीर्ष (दो अंक), विस्तृत शीर्ष (दो से तीन अंक), एवं उद्देश्य शीर्ष (दो/तीन/चार अंक) में प्रस्तुत किए जाते हैं। मुख्य शीर्ष, सरकार के कार्यों को, उप-मुख्य शीर्ष, उप-कार्यों को, लघु-शीर्ष कार्यक्रमों/ क्रिया-कलापों को, उप-शीर्ष योजनाओं को, विस्तृत शीर्ष उप-योजनाओं को एवं उद्देश्य शीर्ष, व्यय के प्रयोजन/उद्देश्य को प्रदर्शित करते हैं।

4. लेखों में वर्गीकरण की मुख्य इकाई, मुख्य शीर्ष है जिसमें निम्नलिखित कूटबद्ध करने की पद्धति निहित है (मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की 31 मार्च 2022 तक संशोधित सूची अनुसार)

0005 से 1606	***राजस्व प्राप्तियाँ***
2011 से 3606	***राजस्व व्यय***
4000	***पूंजीगत प्राप्तियाँ***
4046 से 7810	***पूंजीगत व्यय (लोक-ऋण, कर्ज तथा अग्रिम सहित)***
7999	***आकस्मिकता निधि को विनियोजन***
8000	***आकस्मिकता निधि***
8001 से 8999	***लोक लेखा***

5. लेखों की संरचना का चित्रमय स्वरूप निम्न प्रकार हैः

शासकीय लेखों की संरचना

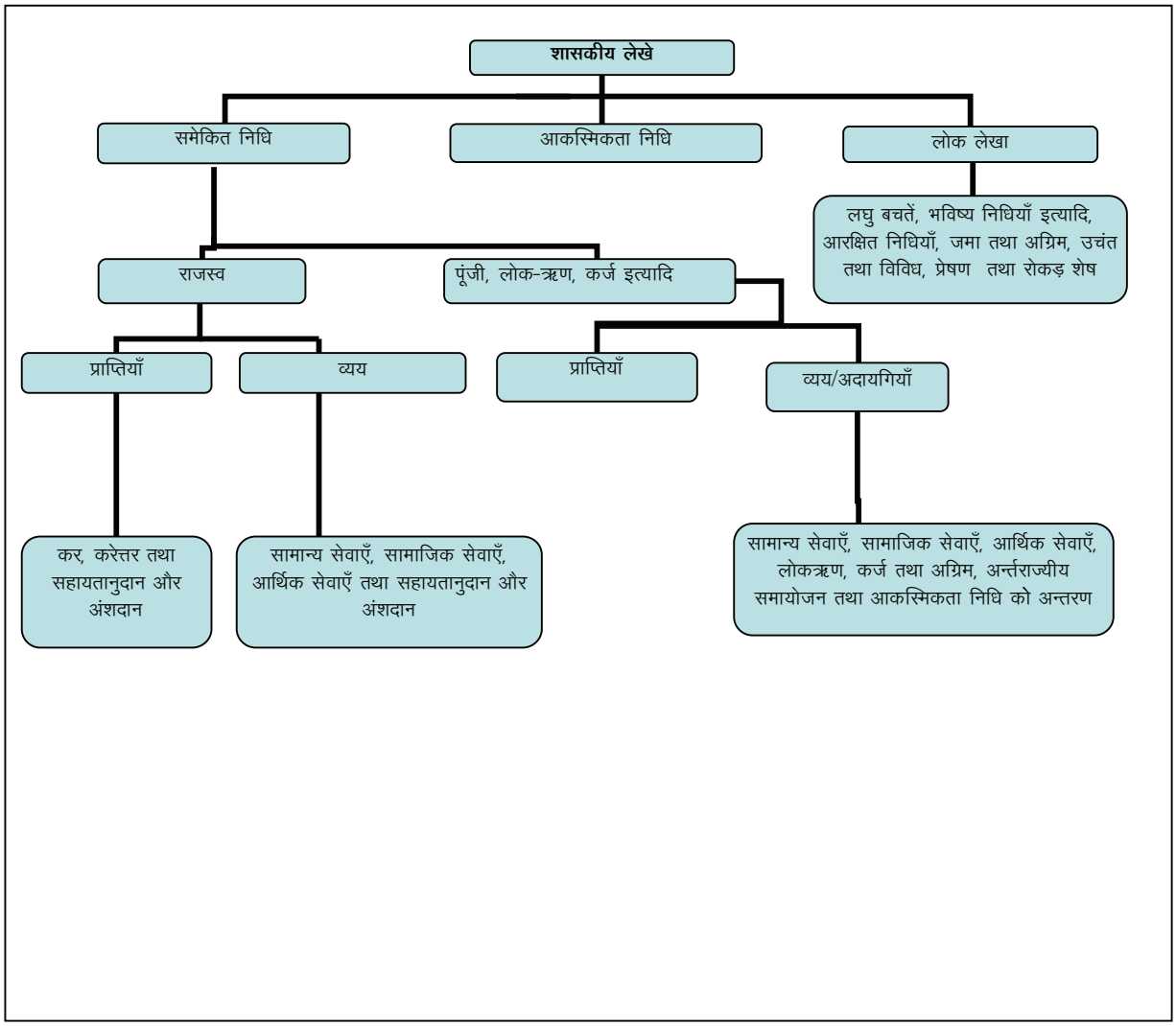

ख. वित्त लेखों में समाहित है

वित्त लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत किए जाते हैं।

खण्ड-I में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, वित्त लेखों की मार्ग दर्शिका, 13 विवरणियाँ जो कि चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति एवं लेन-देनों की संक्षिप्त जानकारी देती हैं तथा वित्त लेखों पर टिप्पणियां सम्मिलित है।

खण्ड-I की 13 विवरणियों तथा वित्त लेखे पर टिप्पणियों का वर्णन निम्न प्रकार है-

1. वित्तीय स्थिति की विवरणीः यह विवरणी, राज्य सरकार की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के वर्ष के अन्त तक के संचयात्मक आकड़ों, को पूर्व वर्ष के अन्त तक की स्थिति से तुलनात्मक रूप में दिखाती है।

2. **प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणीः** यह विवरणी शासकीय लेखों के सभी तीन भागोंः समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक-लेखा में वर्ष के दौरान राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, इसमें सरकार के रोकड़ शेष (निवेश सहित) विकल्प को दर्शाने वाला एक अनुबंध सम्मिलित है । यह अनुबंध, सरकार की अर्थोपाय की विस्तृत स्थिति प्रस्तुत करता है।
3. **प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि):** यह विवरणी राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों, उधारियों तथा सरकार द्वारा प्रदत कर्जों की वसूली को दर्शाती है। यह विवरणी, वित्त लेखे के खण्ड-।। की विस्तृत विवरणियां 14,17 एवं 18 की समरूपी है।
4. **व्यय की विवरणी (समेकित निधि):** वित्त लेखों के लघु शीर्ष स्तर पर दर्शाने के सामान्य व्यवहार के अपदान स्वरूप, यह विवरणी व्यय को उसकी प्रकृति अनुसार (व्यय के उद्देश्य) भी विवरण प्रस्तुत करती है। यह विवरणी खण्ड-।। की विवरणियां 15,16,17 एवं 18 की समरूपी है।
5. **प्रगामी पूँजीगत व्यय की विवरणीः** यह विवरणी खण्ड-।। में विस्तृत विवरणी 16 की समरूपी है।
6. **उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणीः** सरकार के उधारों में, उसके द्वारा लिए गए बाजार कर्जे (आन्तरिक ऋण) एवं भारत सरकार से लिए गए ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। अन्य दायित्वों में, 'लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि', 'आरक्षित निधियाँ' एवं 'जमा' सम्मिलित हैं। इस विवरणी में ऋण के उपयोग पर एक टिप्पणी भी सम्मिलित है एवं यह खण्ड-।। में विस्तृत विवरणी 17 की समरूपी है।
7. **सरकार द्वारा दिए गए कर्जों तथा अग्रिमों की विवरणीः** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के ऋणियों जैसे- संवैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों एवं प्राप्तकर्ता व्यक्तियों (सरकारी कर्मचारियों सहित) को प्रदत सभी ऋण एवं अग्रिमों को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-।। की विस्तृत विवरणी 18 की समरूपी है।
8. **सरकार के निवेशों की विवरणीः** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा संवैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूँजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों की शेयर पूंजी में निवेशों को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-।। में विस्तृत विवरणी 19 की समरूपी है।
9. **सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विवरणीः** यह विवरणी, राज्य सरकार द्वारा संवैधानिक निगमों, सरकारी कम्पिनयों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों एवं उन पर ब्याज की वापसी के लिए दी गई गारंटियों का सार प्रस्तुत करती है। यह विवरणी खण्ड-।। में विस्तृत विवरणी 20 की समरूपी है।
10. **राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणीः** यह विवरणी सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के अनुदेयियों जैसे संवैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत एवं अन्य निकायों/ प्राधिकारियों एवं व्यक्तियों को प्रदत सभी सहायतानुदानों को दर्शाती है। प्राप्तकर्ता संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट-III में समाहित है।

वित्त लेखों की मार्गदर्शिका -*जारी*

11. प्रभारित और दत्तमत व्यय की विवरणीः यह विवरणी वित्त लेखों में दर्ज निवल आंकडों एवं विनियोग लेखों में दर्ज सकल आंकड़ों के मेल में सहायक है।

12. राजस्व लेखों के व्यय के अतिरिक्त व्यय के लिए स्त्रोत व निधियों के उपयोग की विवरणीः यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया जाना चाहिए जबकि वार्षिक पूँजीगत व्यय को, राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के आरम्भ में नगद शेष एवं उधारों से पूरा किया जाना चाहिए।

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांशः यह विवरणी लेखों की सत्यता मापने में सहायक है। यह विवरणी खण्ड-II में विस्तृत विवरणियां 14, 15, 16, 17, 18 एवं 21 की समरूपी है।

वित्त लेखों पर टिप्पणियां एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

वित्त लेखों पर टिप्पणियां प्रकटीकरण तथा व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रदान करते हैं, जिनका उद्देश्य लेनदेनों, लेनदेनों के वर्गों, शेषों इत्यादि से संबंधित अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण प्रदान करना है, जो कि वित्त लेखों के हितधारकों/उपयोगकर्ताओं के लिए सहायक होगा।

बजट एवं वित्तीय प्रतिवेदन के आधार, भारत सरकार के लेखांकन मानकों की जरूरतें, लेखों के प्रारूप , पूंजीगत तथा राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकरण, पूर्णांकन, आवधिक समायोजन इत्यादि सहित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों को वित्त लेखों के खण्ड-I में लेखों पर टिप्पणियों के रूप में शामिल किया गया है।

वित्त लेखे के खण्ड-II के दो भाग हैं, भाग-I में नौ विस्तृत विवरणियाँ एवं भाग-II में तेरह परिशिष्ट सम्मिलित हैं।

खण्ड-II का भाग-I

14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणीः यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड -I में संक्षिप्त विवरणी-3 की समरूपी हैं। यह विवरणी राजस्व प्राप्तियों का लद्यु शीर्षवार विवरण देने के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में उप शीर्ष स्तर पर विवरण दर्शाता है।

15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणीः यह विवरणी जो कि खण्ड-I में संक्षिप्त विवरणी 4 की समरूपी है, राज्य सरकार के राज्य के राजस्व व्यय को दर्शाती है। भारित तथा दत्तमत व्यय अलग-अलग दिखाए जाते हैं।

16. **लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणीः** यह विवरणी जो कि खण्ड-। में संक्षिप्त विवरणी 5 की समरूपी है, राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय (वर्ष के दौरान एवं संचयात्मक) को दर्शाती है। प्रभारित तथा दत्तमत व्यय अलग-अलग दिखाए जाते हैं। महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में, पूँजीगत व्यय का विवरण लघु शीर्षवार दिखाए जाने के अतिरिक्त इस विवरणी में उपशीर्ष स्तर तक भी दिखाया जाता है।

17. **उधारों तथा अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणीः** यह विवरणी जो कि खण्ड-। में संक्षिप्त विवरणी 6 की समरूपी है, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋणों (बाजार ऋण, ऋण-पत्र, केन्द्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ इत्यादि) एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत अर्थोपयाय अग्रिमों को दर्शाती हैं। यह विवरणी, ऋणों की सूचना तीन श्रेणियों (क) प्रत्येक ऋण का ब्यौरा (ख) परिपक्वता रूप-रेखा अर्थात प्रत्येक श्रेणी के ऋणों की विभिन्न वर्षो में देय राशी (ग) बकाया ऋणों पर ब्याज दर की रूप-रेखा तथा बाजार ऋणों को दर्शाता अनुलग्नक, में प्रस्तुत करती है।

18. **सरकार द्वारा दिए गए कर्जों तथा अग्रिमों की विस्तृत विवरणीः** यह विवरणी, खण्ड-। में संक्षिप्त विवरणी 7 की समरूपी है।

19. **सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणीः** यह विवरणी वर्ष के दौरान संस्था अनुसार निवेशों एवं विवरणी 16 तथा 19 में मुख्य एवं लघु शीर्षवार निवेशों की विसंगतियों को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-। में विवरणी 8 की समरूपी है।

20. **सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विस्तृत विवरणीः** यह विवरणी, सरकार की गारंटियों का संस्था अनुसार विवरण प्रस्तुत करती है। यह विवरणी खण्ड-। में विवरणी 9 की समरूपी है।

21. **आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे के लेन-देनों की विस्तृत विवरणीः** यह विवरणी, आकस्मिकता निधि में असमायोजित राशि, वर्ष के दौरान लोक लेखा लेन-देनों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अन्त में लम्बित शेषों का लघु शीर्षवार विवरण दर्शाती है।

22. **पृथक रक्षित शेषों के निवेश पर विस्तृत विवरणीः** यह विवरणी आरक्षित निधियों एवं जमा (लोक लेखा) से किए गए निवेशों का विवरण दर्शाती है।

खण्ड-।। का भाग ।।

भाग-।। में वेतन, आर्थिक सहायता, सहायतानुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ इत्यादि की विभिन्न मदों, पर 13 परिशिष्ट सम्मिलित हैं। ये विवरण, लेखों में उप शीर्ष अथवा उसके निचले स्तर (लघु शीर्ष के नीचे) पर उपलब्ध है तथा इसलिए सामान्यतः वित्त लेखों में नहीं दर्शाए जाते हैं। परिशिष्टों की विस्तृत सूची खण्ड-। तथा खण्ड-।। की विषय सारणी में उपलब्ध है। परिशिष्टों के साथ पठित वित्त लेखों की विवरणियां तथा टिप्पणियां वर्ष के दौरान सरकार की प्राप्तियों तथा संवितरणों के साथ वित्तीय स्थति प्रस्तुत करती हैं।

वित्त लेखों की मार्गदर्शिका - *समाप्त*

ग. शीघ्र गणकः

निम्न अनुभाग, खण्ड-। में दर्ज सार विवरणियों को खण्ड-।। में दर्ज विस्तृत विवरणियों एवं परिशिष्टों से जोड़ता है (परिशिष्ट जो सार विवरणियों से सीधे तौर पर संबधित नहीं है नीचे नहीं दर्शाए गए हैं)।

मानक	खण्ड-।	खण्ड- ।।	
	सार विवरणियाँ	विस्तृत विवरणियाँ	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्तियाँ (प्राप्त अनुदान सहित), पूँजीगत प्राप्तियाँ	2, 3	14	
राजस्व व्यय	2, 4	15	I (वेतन) II (आर्थिक सहायता)
सरकार द्वारा प्रदत्त सहायतानुदान	2, 10	--	III (सहायतानुदान/सहायता)
पूँजीगत व्यय	1, 2, 4, 5, 12	16	I (वेतन)
सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण तथा अग्रिम	1, 2, 7	18	
ऋण स्थिति एवं उधारियां	1, 2, 6	17	
कंपनियों निगमों इत्यादि में सरकार द्वारा किए गए निवेश	8	19	
रोकड़	1, 2, 12, 13		
लोक लेखा में शेष एवं उनका निवेश	1, 2, 12, 13	21, 22	
गारंटियाँ	9	20	
योजनाऐं			IV(बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाऐं), V (योजनाओं पर व्यय)

घ. विभिन्न विवरणियों /परिशिष्टों में प्रयुक्त प्रतीक ".." का अर्थ शून्य मान/शून्य है।

संक्षेप विवरणियां

1. वित्तीय स्थिति की विवरणी

(₹ करोड़ में)

सम्पत्तियाँ*	संदर्भ (क्रम संख्या)		31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021
	लेखे पर टिप्पणियां	विवरणी		
रोकड़			**4,946.11**	**3,147.94**
(i) खजानों तथा स्थानीय प्रेषण में रोकड़		21	0.54	0.54
(ii) विभागीय शेष		21	4.41	3.34
(iii) स्थायी अग्रदाय		21	0.12	0.12
(iv) रोकड़ शेष का निवेश		21	2,597.52	1,564.72
(v) भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	5 (vi)	21	(-)371.24(क)	(-)463.47
(vi) पृथक रक्षित निधियों से निवेश		22	2,714.76	2,042.69
पूंजीगत व्यय		16	**1,29,013.56**	**1,18,035.14**
(i) कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश		19	37,865.68	37,566.55
(ii) अन्य पूंजीगत व्यय		16	91,147.88	80,468.59
आकस्मिकता निधि (अनापूर्ति)			..	..
कर्ज तथा उधार	3(ix)	18	**8,350.07**	**7,884.05**
विभागीय अधिकारियों के अग्रिम		21	**0.74**	**0.74**
उचन्त और विविध शेष (1)	5(iii)	21	..	**24.24**
प्रेषण शेष		21	..	..
प्राप्तियों पर व्यय की संचयात्मक अधिक्ता (2) पूर्णांक के कारण अन्तर		12	**1,37,656.64** **0.01**	**1,17,323.30**
जोड़			**2,79,967.13**	**2,46,415.41**

* सम्पत्तियों और दायित्वों के आंकड़े संचयात्मक आंकड़े है । कृपया 'वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ' में पैरा 1(v) देखें ।

(क) माइनस आंकड़े रोकड़ शेष (जमा) को दर्शाते हैं।

(1) इस विवरणी में पंक्ति मद 'उचन्त और विविध शेष' में 'रोकड़ शेष निवेश लेखा' नहीं जोड़ी गई है, जिसे ऊपर अलग से शामिल किया गया है यद्यपि बाद वाला भाग इन लेखों में अन्य स्थानों पर इस क्षेत्र का भाग है ।

(2) खर्च से अधिक प्राप्तियॉ अथवा प्राप्तियों से अधिक खर्च राजकोषीय/राजस्व घाटे से भिन्न है तथा चालू वर्ष के लिए राजकोषीय/राजस्व घाटा नहीं है ।

1. वित्तीय स्थिति की विवरणी - *समाप्त*

(₹ करोड़ में)

दायित्व	संदर्भ (क्रम संख्या)		31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
	लेखे पर टिप्पणियां	विवरणी		
उधार (सार्वजनिक ऋण)				
(i) आंतरिक ऋण		17	**2,26,208.23**	**2,03,958.21**
(ii) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम		17	**13,234.58**	**5,851.97**
योजनेत्तर ऋण			7.57	37.04
राज्य सरकार योजनाओं के लिए ऋण			844.71	970.02
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण			..	..
अन्य ऋण			12,382.30	4,844.91
आकस्मिकता निधि (शेष)	4	21	**1,000.00**	**1,000.00**
लोक लेखे पर दायित्व		21		
(i) लघु बचत, भविष्य निधि आदि			**18,394.45**	**17,996.91**
(ii) जमा			**11,724.95**	**9,471.56**
(iii) आरक्षित निधियां	5 (ii)		**8,848.92**	**7,823.91**
(iv) उचन्त तथा विविध शेष			**241.40**	**..**
(v) प्रेषण शेष		21	**314.60**	**312.85**
प्राप्तियों से व्यय की संचयात्मक अधिक्ता			..	..
जोड़			**2,79,967.13**	**2,46,415.41**

2. प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

	प्राप्तियाँ			संवितरण	
	2021-22	**2020-21**		**2021-22**	**2020-21**
भाग-I समेकित निधि					
अनुभाग-क- राजस्व					
राजस्व प्राप्तियॉ (संदर्भ: वि. 3 व 14)	**78,091.69**	**67,561.01**	**राजस्व व्यय** (संदर्भ: व. 4-क, 4-ख व 15)	**98,425.03**	**89,946.60**
कर राजस्व (राज्य द्वारा एकत्रित) (संदर्भ: वि. 3 व 14)	**53,377.16**	**41,913.80**	**वेतन(1)** (संदर्भ: वि. 4-ख व परिशिष्ट I)	**23,440.81**	**21,961.31**
करेतर राजस्व (संदर्भ: वि. 3 व 14)	**7,394.13**	**6,961.49**	**आर्थिक सहायता(1)** (संदर्भ: वि. 4-ख व परिशिष्ट II)	**9,535.49**	**7,650.39**
			सहायतानुदान(2) (संदर्भ:: वि. 4-ख, 10 व परिशिष्ट III)	**12,445.81**	**13,012.47**
ब्याज प्राप्तियाँ (संदर्भ: वि. 3 व 14)	1,378.23	1,561.74	**सामान्य सेवाएं** (संदर्भ: वि. 4 व 15)	**31,506.00**	**28,839.72**
अन्य (संदर्भ: वि. 3)	6,015.90	5,399.75	ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन (संदर्भ: वि. 4-क, 4-ख व 15)	18,861.60	17,114.67
कुल (संदर्भ: वि. 3 व 14)	**7,394.13**	**6,961.49**	पेंशन (संदर्भ: वि. 4-क, 4-ख व15)	10,616.71	9,712.71
केन्द्र के कर/ शुल्क का हिस्सा (संदर्भ: वि. 3 व 14)	**9,722.16**	**6,437.59**	अन्य (संदर्भ:वि. 4-ख)	2,027.69	2,012.34
			कुल (संदर्भ: **वि. 4-क व 15**)	**31,506.00**	**28,839.72**
			सामाजिक सेवायें (संदर्भ: वि. 4-क व 15)	**17,789.23**	**15,472.97**
			आर्थिक सेवायें (संदर्भ: वि. 4-क व 15)	**3,707.69**	**3,009.74**
केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान **(संदर्भ: वि. 3 व 14)**	**7,598.24**	**12,248.13**	**स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन** (संदर्भ: **वि. 4-क व 15**)	..	..
राजस्व घाटा	***20,333.34***	***22,385.59***	**राजस्व अधिकता**	..	..

(1) समेकित आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण के लिए सभी क्षेत्रों के वेतन, सहायता व सहायतानुदान के आकड़ें जोड़ लिए गये है। इस विवरण में सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय में वेतन, आर्थिक सहायता, सहायतानुदान पर किया व्यय शामिल नहीं हैं (स्पष्टीकरण टिप्पणी-2 में)।

(2) सहायतानुदान में सभी मुख्य शीर्ष तथा सभी लघु शीर्ष 190, 191, 192,193,195, 196,197,198 एवं 199 के उद्देश्य शीर्ष (कोड 09 व 43) के जोड़ को शामिल किया गया है। सरकार द्वारा संवैद्यानिक निगमों, कम्पनियों, स्वायत निकायों, स्थानीय निकायों को दिया गया सहातानुदान उपरोक्त में पंक्ति मद के रूप में शामिल है। यह अनुदान स्थानीय उपक्रमों को प्रदान किए गए करों व शुल्कों की क्षतिपूर्ति तथा आबंटन से अलग है जिसे अलग पंक्ति मद 'स्थानीय निकायों' तथा 'पंचायती राज संस्थाओं' में दर्शाया गया है।

2. प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी - *जारी*

(₹ करोड़ में)

	प्राप्तियाँ			संवितरण	
	2021-22	**2020-21**		**2021-22**	**2020-21**
भाग-I समेकित निधि					
अनुभाग-ख-पूंजी					
पूंजीगत प्राप्तियाँ (संदर्भ: वि. 3 व 14)	**67.15**	**62.96**	**पूंजीगत व्यय** (संदर्भ: वि. 4क, 4ख व 16)	**11,045.56**	**5,869.70**
			सामान्य सेवाएं (संदर्भ: वि. 4क व 16)	562.07	387.61
			सामाजिक सेवाएं (संदर्भ: वि. 4क व 16)	5,471.24	2,986.12
			आर्थिक सेवाएं (संदर्भ: वि. 4क व 16)	5,012.25 (क)	2,495.97 (ख)
कर्ज तथा उधार से वसूलियाँ (संदर्भ:वि. 3, 7 व 18)	**500.24**	**431.95**	**कर्ज तथा उधार संवितरण** (संदर्भ: वि. 4क, 7 व 18)	**966.27**	**925.70**
			सामान्य सेवाएं (संदर्भ: वि. 4क, 7 व 18)	..	..
			सामाजिक सेवाएं (संदर्भ: वि. 4क, 7 व 18)	..	..
			आर्थिक सेवाएं (संदर्भ: वि. 4क, 7 व 18)	867.79	723.99
			सरकारी कर्मचारियों को ऋण (संदर्भ: वि. 4क, 7 व 18)	98.48	201.71
लोक ऋण प्राप्तियाँ (संदर्भ: वि. 3, 6 व 17)	**55,105.60**	**53,816.73**	**लोक ऋण की पुर्नअदायगियां** (संदर्भ: वि. 4क, 6 व 17)	**25,472.95**	**29,497.60**
आंतरिक ऋण (बाजार कर्ज, एन.एस.एस.एफ आदि) (संदर्भ:वि. 3, 6 व 17)	47,568.21	49,340.05	**आंतरिक ऋण** (बाजार कर्ज, एन.एस.एस.एफ आदि) (संदर्भ:: वि. 4क, 6 व 17)	25,318.18	29,167.44
केन्द्रीय सरकार से कर्ज (संदर्भ: वि. 3, 6 व 17)	7,537.39	4,476.68	**केन्द्रीय सरकार से कर्ज** (संदर्भ: वि. 4क, 6 व 17)	154.77	330.16
अन्तर्राज्यीय परिशोधन लेखा (निवल)/आकस्मिकता निधि को विनियोजन	..	..	**अन्तर्राज्यीय परिशोधन लेखा** (निवल)/आकस्मिकता निधि को विनियोजन	..	**800.00** ..
			पूर्णांकन के कारण	0.01	
समेकित निधि कुल प्राप्तिया (संदर्भ: वि. 3)	**1,33,764.68**	**1,21,872.65**	**समेकित निधि कुल व्यय** (संदर्भ: वि. 4)	**1,35,909.82**	**1,27,039.60**
समेकित निधि में कमी	**2,145.14**	**5,166.95**	**समेकित निधि में अधिकता**	..	..

(क) ₹ 1,045.15 करोड़ वेतन के सम्मिलित है। (ख) ₹ 848.13 करोड़ वेतन के सम्मिलित है।

2. प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी - *समाप्त*

(₹ करोड़ में)

	प्राप्तियाँ			संवितरण	
	2021-22	2020-21		2021-22	2020-21
भाग-II आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि (सन्दर्भ: वि. 21)	900.00	800.00	आकस्मिकता निधि (सन्दर्भ: वि. 21)	900.00	..
भाग-III लोक लेखा (3)					
लघु बचत, भविष्य निधि आदि (सन्दर्भ: वि. 21)	3,569.29	3,604.79	लघु बचत, भविष्य निधि आदि (सन्दर्भ: वि. 21)	3,171.76	2,570.34
आरक्षित तथा निक्षेप निधि (सन्दर्भ: वि. 21)	1,668.69	2,858.61	आरक्षित तथा निक्षेप निधि (सन्दर्भ: वि. 21)	1,315.76	2,263.70
जमा (सन्दर्भ: वि. 21)	38,077.43	37,408.58	जमा (सन्दर्भ: वि. 21)	35,824.04	35,858.82
अग्रिम (सन्दर्भ: वि. 21)	..	..	अग्रिम (सन्दर्भ: वि. 21)	..	..
उचन्त तथा विविध (सन्दर्भ: वि. 21)	88,403.94	84,455.60	उचन्त तथा विविध (4) (सन्दर्भ: वि. 21)	89,172.17	82,125.42
प्रेषण (सन्दर्भ: वि. 21)	10,992.28	8,795.19	प्रेषण (सन्दर्भ: वि. 21)	10,990.53	8,756.09
लोक लेखा कुल प्राप्तियाँ (सन्दर्भ: वि. 21)	1,42,711.63	1,37,122.77	लोक लेखा कुल संवितरण (सन्दर्भ: वि. 21)	1,40,474.26	1,31,574.37
लोक लेखे में कमी	..	..	लोक लेखे में अधिकता	2,237.37	5,548.40
आरंभिक रोकड़ शेष	(-)462.93	(-)1,644.39	अन्तिम रोकड़ शेष	(-)370.70	(-)462.93
रोकड़ शेष में बढ़ोतरी	92.23	1,181.46	रोकड़ शेष में कमी	..	..

(3) विवरणों के लिए कृपया खण्ड-II में विवरणी संख्या 21 देखें।

(4) 'उचंत तथा विविध' में 'अन्य लेखे' जैसे कि रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) शामिल है । इन अन्य लेखों के कारण संख्याएँ बड़ी दिखाई दे सकती है। विवरणों के लिए खण्ड II की विवरणी संख्या 21 देखें।

विवरणी संख्या 2 का अनुबंध

रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

			(₹ करोड़ में)
		31 मार्च 2022 तक	**31 मार्च 2021 तक**
(अ) सामान्य रोकड़ शेषः-			
1. रिजर्व बैंक में जमा राशियाँ (1)		(-)371.24*	(-)463.47
2. मार्गस्थ प्रेषण -स्थानीय		0.54	0.54
	जोड़	(-)**370.70**	(-)**462.93**
3. ''रोकड़ शेष निवेश लेखा'' में दिखाए गये निवेश		2,597.52**	1,564.72
	जोड़ (अ)	**2,226.82**	**1,101.79**
(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश			
विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़			
1. विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़ जैसे कि वन और लोक निर्माण कार्य		4.41	3.34
2. आकस्मिक व्यय के लिए विभागीय अधिकारियों के पास स्थाई अग्रिम		0.12	0.12
3. पृथकरक्षित निधियों का निवेश		2,714.76	2,042.69
	जोड़ (ब)	**2,719.29**	**2,046.15**
	जोड़ (अ) और (ब)	**4,946.11**	**3,147.94**

(1) ''रिजर्व बैंक में जमा'' शीर्ष के अन्तर्गत शेष, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लेन देनों से संबंधित अन्तर सरकारी वित्तीय समायोजनों जो कि भारतीय रिजर्व बैंक को 10 अप्रैल 2022 तक सूचित किए गए है, को शामिल करके निकाला जाता है।

* महालेखाकार के अनुसार ''मार्गस्थ प्रेषण'' के रूप में ₹ 0.54 करोड़ (नामे) के अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक रोकड़ शेष ₹ 371.24 करोड़ (जमा) था । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2022 को सूचित किया गया रोकड़ शेष ₹ 107.79 करोड़ (नामें) है। इस प्रकार दोनों आकड़ों में ₹ 263.45 करोड़ का अन्तर है। अंतर का मिलान किया जा रहा है ।

** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 2,513.64 करोड़ से भिन्न है । अन्तर का मिलान किया जा रहा है ।

विवरणी संख्या 2 का अनुबंध - *जारी*

रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश
व्याख्यात्मक टिप्पणियां

(क) रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य - जैसा कि पूर्व पृष्ठ पर विवरणी में दिया गया है रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में, खजानों में रोकड और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों में जमा तथा मार्गस्थ प्रेषण शामिल है, । शीर्ष 'रिजर्व बैंक में जमा' के शेष, वर्ष के अंत में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के मिश्रित शेषों को दिखाते हैं । कुल रोकड़ स्थिति जानने के लिए खजानों तथा विभागों के पास रोकड़ शेष, रोकड़ शेष/आरक्षित निधियों में से किए गए निवेशों को भारतीय रिजर्व बैंक में 'जमा' शेष में जोडा जाता है ।

(ख) दैनिक रोकड़ शेषः-

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए एक अनुबन्ध के अधीन, हरियाणा सरकार को बैंक के पास न्यूनतम दैनिक रोकड़ शेष ₹ 1.14 करोड़ रखना पड़ता है । जब किसी दिन यह शेष सहमत न्यूनतम राशि से कम हो जाता है तो समय-समय पर साधारण तथा विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष लेकर कमी को पूरा कर लिया जाता है ।

अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष देने के लिए दैनिक रोकड़ शेष (2) की गणना हेतु रिजर्व बैंक 14 दिवसीय खजाना बिलों की धारिता के साथ वर्तमान दिवस में किए गए लेन देनों (भारतीय रिजर्व बैंक शाखाएं, अर्न्तशासकीय लेन देन तथा अभिकर्त्ता बैंकों द्वारा किए गए खजाना लेन देनों की रिपोर्ट) का मूल्यांकन करता है । इस तरह प्राप्त रोकड शेष में 14 दिवसीय खजाना बिलों की परिपक्कता, (यदि कोई हो) जोडी जाती है तथा न्यूनतम रोकड़ शेष को रखने के बाद अधिशेष (यदि कोई हो) उसे खजाना बिलों में पुर्ननिवेश किया जाता है । यदि परिणामस्वरूप निवल रोकड़ शेष, न्यूनतम रोकड़ सीमा से कम या क्रेडिट शेष आता है और यदि उस दिन 14 दिवसीय खजाना बिल की परिपक्कता तिथि न हो तो रिजर्व बैंक 14 दिवसीय खजाना बिलों को भुनाता है तथा कमी को पूरा कर लेता है । यदि उस दिन 14 दिवसीय खजाना बिल ना हो तो राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष के लिए आवेदन करती है ।

(ग) 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार की अर्थोपाय अग्रिम सीमा ₹ 1,464.00 करोड़ थी। बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के विरूद्ध विशेष अर्थोपाय अग्रिम देने को भी सहमत हो गया है। विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा समय-समय पर बैंक द्वारा संशोधित की जाती है।

(2) ऊपर दिया गया रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक में जमा) 31 मार्च 2022 का अंतिम रोकड़ शेष है परन्तु यह 10 अप्रैल तक निकाला गया है तथा यह स्पष्ट 31 मार्च 2022 को दैनिक शेष नहीं है।

विवरणी संख्या 2 का अनुबंध - *समाप्त*

रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

समय अवधि जिस तक, 2021-22 में, सरकार ने रिजर्व बैंक के पास न्यूनतम शेष रखा है, का विवरण नीचे दिया गया है।

(क)	दिनों की संख्या जिनमें अग्रिम लिए बिना न्यूनतम शेष बनाए रखा गया	346
(ख)	दिनों की संख्या जिनमें साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर न्यूनतम शेष बनाए रखा गया	14
(ग)	दिनों की संख्या जिनमें न्यूनतम सीमा तक विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेकर न्यूनतम शेष बनाये रखा गया	4
(घ)	दिनों की संख्या जिनमें उपरलिखित अग्रिम लेने के बाद भी न्यूनतम शेष कम रहा परन्तु कोई अधिविकर्ष नहीं लिया गया	शून्य
(ड़)	दिनों की संख्या जिनमें अधिविकर्ष लिया गया	1

वर्ष 2021-22 के अन्त तक अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष के अन्तर्गत कोई राशि बकाया नहीं थी। वर्ष 2021-22 में ₹ 2,775.83 करोड़ सामान्य/कम/अधिक अर्थोपाय अग्रिम लिया गया तथा पूर्ण राशि इसी वर्ष वापिस कर दी गई तथा कोई भी बकाया नहीं रहा।

वर्ष 2021-22 के दौरान अर्थोपाय पेशगीयों पर ₹ 0.29 करोड़ ब्याज के रूप में अदा किए गए ।

राज्य सरकार ने रोकड़ शेष निवेश लेखा के अन्तर्गत ₹ 2,597.52 करोड़ भारत सरकार की प्रतिभूतियों के अन्तर्गत निवेश किए । इस निवेश पर चालू वर्ष में ₹ 25.45 करोड़ ब्याज प्राप्त हुआ जो कि पिछले वर्ष में प्राप्त हुए ब्याज से ₹ 4.04 करोड़ कम था ।

पृथक रक्षित निधियों में से निवेश की गई राशि, विवरणी संख्या 22 में दिखाई गई है ।

3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)

I कर एवं कर भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वास्तविक	
		2021-22	2020-21
क.	**कर राजस्व**		
क.1	**अपना कर राजस्व**	**53,377.16**	**41,913.80**
	राज्य वस्तु और सेवा कर	22,922.15	18,235.79
	भू-राजस्व	21.29	16.60
	स्टाम्प और रजिस्ट्री फीस	7,598.38	5,157.02
	राज्य उत्पाद शुल्क	7,933.42	6,864.42
	बिक्री एवं व्यापार आदि पर बिक्री कर	11,220.71	8,660.16
	वाहनों पर कर	3,264.61	2,495.08
	माल और यात्रियों पर कर	5.94	3.74
	बिजली पर कर तथा शुल्क	404.36	476.07
	बस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	6.30	4.92
क.2.	**करों की निवल प्राप्तियों का भाग**	**9,722.16**	**6,437.59**
	केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर	2,763.35	1,907.46
	एकीकृत वस्तु और सेवा कर	..	..
	निगम कर	2,846.17	1,946.54
	निगम कर से भिन्न आय पर कर	2,874.79	1,996.13
	आय और व्यय पर अन्य कर	0.02	..
	सम्पत्ति पर कर	0.62	..
	सीमा कर	709.48	338.27
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	390.43	215.83
	सेवा कर	127.53	28.52
	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	9.77	4.84
	जोड़- क	**63,099.32**	**48,351.39**
ख.	**करेतर राजस्व**		
	ब्याज प्राप्तियाँ	1,378.23*	1,561.74
	पुलिस	87.39	53.51
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	87.83	65.62
	विविध सामान्य सेवाएं	283.99	131.69
	शिक्षा, खेलकूद तथा सांस्कृतिक	220.11	595.47
	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	221.87	197.19
	जलापूर्ति और सफाई	58.80	69.68
	शहरी विकास	1,240.74	1,953.92
	वानिकी और वन्य जीवन	16.73	19.97
	मुख्य सिंचाई	206.75	184.60
	अलौह धातु खनन और धातु कर्मीय उद्योग	837.77	1,020.95
	सड़क परिवहन	1,077.44	585.38
	अन्य	1,676.47	521.77
	जोड़- ख	**7,394.12**	**6,961.49**

* ब्याज की पुस्तकीय समायोजन की राशि ₹ 1,211.03 करोड़ सम्मिलित है।

3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि) - *जारी*

II भारत सरकार से अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण		वस्तविक	
		2021-22	2020-21
ग.	**केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान**		
ग -1	**केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं**	**3,332.31**	**3,135.18**
	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत अनुदान	3,332.31	3,135.18
	केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	..	..
ग -2	**वित आयोग अनुदान**	**1,192.05**	**2,364.00**
	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत अनुदान	799.25	1,873.00
	राज्य आपदा राहत निधि के लिए अनुदान	392.80	491.00
ग -3	**राज्य को अन्य अनुदान/हस्तान्तरण**	**3,073.88**	**6,748.95**
	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत अनुदान	2,910.17	6,670.41
	केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	163.71	78.54
	जोड़- क	**7,598.24**	**12,248.13**
	कुल राजस्व प्राप्तियाँ (क + ख + ग) =	**78,091.68**	**67,561.01**

3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि) - *समाप्त*

III पूंजीगत लोक ऋण तथा अन्य प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वास्तविक	
		2021-22	2020-21
घ.	**पूंजीगत प्राप्तियाँ**	67.15	62.96
	विनिवेश प्राप्तियाँ		
	जोड़ -घ.	**67.15**	**62.96**
ङ	**लोक ऋण प्राप्तियाँ**		
	आंतरिक ऋण		
	बाजार ऋण	30,497.76	30,000.00
	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगी	2,775.83	4,977.33
	बॉन्ड	..	..
	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	14,101.31	14,179.57
	अन्य ऋण	193.32	183.15
	जोड़- ङ	**47,568.22**	**49,340.05**
च.	**केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम1**		
	राज्य योजना स्कीम के लिए कर्ज	..	..
	केन्द्रीय योजना स्कीम के लिये कर्ज	..	..
	केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना स्कीम के लिए कर्ज	7,537.39	4,476.68
	जोड़- च.	**7,537.39**	**4,476.68**
छ.	**राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम (वसूलियाँ)**1	**500.24**	**431.95**
	आकस्मिक निधि की कुल प्राप्तियाँ (क + ख + ग + घ + ड़ + च +छ)	**1,33,764.68**	**1,21,872.65**

1. विस्तृत विवरण खण्ड-I की विवरणी 7 व खण्ड-II की विवरणी 18 में है ।

4. व्यय की विवरणी (समेकित निधि)

क - कार्य अनुसार व्यय

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम	जोड़
क.	**सामान्य सेवाएं-**				
क 1	**राज्य के अंग-**	**1,194.50**	..	..	**1,194.50**
	संसद /राज्य/संघ क्षेत्रों के विधान मण्डल	76.69	..	..	76.69
	राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/ राज्यपाल / संघ क्षेत्रों के प्रशासक	18.33	..	..	18.33
	मन्त्री परिषद्	163.57	..	..	163.57
	न्याय प्रशासन	875.37	..	..	875.37
	निर्वाचन	60.54	..	..	60.54
क 2	**राज्य वित्तीय सेवाएं**	**647.84**	**10.10**	**..**	**657.94**
	भू-राजस्व	284.99	..	..	284.99
	स्टाम्प और पंजीकरण	21.69	..	..	21.69
	राज्य उत्पाद शुल्क	52.01	..	..	52.01
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	208.41	..	..	208.41
	वाहनों पर कर	71.81	..	..	71.81
	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	7.11	..	..	7.11
	अन्य राज वित्तीय सेवाएं	1.82	10.10	..	11.92
क 3	**ब्याज अदायगियां एवं ऋण सेवा**	**18,861.60**	**..**	**..**	**18,861.60**
	ब्याज अदायगियां	18,361.60	..	..	18,361.60
	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	500.00	..	..	500.00
क 4	**प्रशासनिक सेवाएं-**	**6,624.99**	**551.98**	**..**	**7,176.97**
	लोक सेवा आयोग	188.87	..	..	188.87
	सचिवालय- सामान्य सेवाएं	220.70	..	..	220.70
	जिला प्रशासन	300.12	..	..	300.12
	खजाना तथा लेखा प्रशासन	92.36	..	..	92.36
	पुलिस	5,065.07	137.19	..	5,202.26
	जेल	271.92	..	..	271.92
	आपूर्ति और निपटान	4.41	..	..	4.41
	लेखन सामग्री और मुद्रण	15.83	0.26	..	16.09
	लोक निर्माण-कार्य	281.68	414.53	..	696.21
	सतर्कता	43.92	..	..	43.92
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	140.11	..	..	140.11

4. व्यय की विवरणी (समेकित निधि) - *जारी*

क - कार्य अनुसार व्यय

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम	जोड़
क	**सामान्य सेवाएं - *समाप्त***				
क 5	**पेंशन और विविध सामान्य सेवाएं-**	**10,618.98**	..	..	**10,618.98**
	पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	10,616.71	..	..	10,616.71
	विविध सामान्य सेवाएं	2.27	..	..	2.27
	जोड़ - क. सामान्य सेवायें	**37,947.91**	**562.08**	..	**38,509.99**
ख	**सामाजिक सेवाएं-**				
ख 1	**शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति-**	**15,412.43**	**578.61**	..	**15,991.04**
	सामान्य शिक्षा	14,483.90	413.82	..	14,897.72
	तकनीकी शिक्षा	636.84	24.42	..	661.26
	खेलकूद और युवा सेवाएं	266.19	72.76	..	338.95
	कला और संस्कृति	25.50	67.61	..	93.11
ख 2	**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण-**	**6,001.83**	**895.70**		**6,897.53**
	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	5,763.24	895.70	..	6,658.94
	परिवार कल्याण	238.59	..	..	238.59
ख 3	**जलापूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास-**	**6,780.07**	**3,811.78**	..	**10,591.85**
	जलापूर्ति और सफाई	1,856.25	1,693.09	..	3,549.34
	आवास	244.54	103.41	..	347.95
	शहरी विकास	4,679.28	2,015.28	..	6,694.56
ख 4	**सूचना और प्रसारण-**	**213.13**	**78.05**	..	**291.18**
	सूचना और प्रचार	213.13	78.05	..	291.18
ख 5	**अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-**	**396.06**	..	..	**396.06**
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	396.06	..	..	396.06
ख 6	**श्रम और श्रम कल्याण -**	**1,328.37**	..	..	**1,328.37**
	श्रम, रोजगार और कौशल विकास	1,328.37	..	..	1,328.37
ख 7	**समाज कल्याण और पोषण-**	**10,785.09**	**62.02**	..	**10,847.11**
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	9,750.56	62.02	..	9,812.58
	पोषण	279.94	..	..	279.94
	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	754.59	..	..	754.59

4. व्यय की विवरणी(समेकित निधि) - *जारी*

क - कार्य अनुसार व्यय

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम	जोड़
ख -	**सामाजिक सेवाएं - *समाप्त***				
ख 8	**अन्य-**	**10.71**	**45.09**	**..**	**55.80**
	अन्य सामाजिक सेवाएं	1.28	45.09	..	46.37
	सचिवालय- सामाजिक सेवाएं	9.43	..	..	9.43
	जोड़- ख. सामाजिक सेवाएं	**40,927.69**	**5,471.25**	**..**	**46,398.94**
ग.	**आर्थिक सेवाएं-**				
ग. 1	**कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप-**	**4,790.92**	(-)**22.92**(क)	**171.81**	**4,939.81**
	कृषि कार्य	1,965.03	2.23	51.16	2,018.42
	भू और जल संरक्षण	97.10	..	..	97.10
	पशुपालन	895.79	11.32	..	907.11
	डेयरी विकास	0.45	..	..	0.45
	मत्स्य पालन	66.90	..	..	66.90
	वानिकी और वन्य जीवन	360.71	..	..	360.71
	खाद्य भण्डारण और भण्डारागार	382.88	(-)148.59(क)	33.63	267.92
	कृषि संबंधी अनुसंधान और शिक्षा	573.00	..	..	573.00
	सहकारिता	447.25	112.12	87.02	646.39
	अन्य कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम	1.81	..	..	1.81
ग. 2	**ग्रामीण विकास-**	**1,985.44**	**100.04**	**34.79**	**2,120.27**
	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	113.87	..	34.79	148.66
	ग्रामीण रोजगार	256.74	..	..	256.74
	भूमि सुधार	28.61	..	..	28.61
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1,586.22	100.04		1,686.26
ग. 3	**सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण-**	**2,044.78**	**1,807.53**	**..**	**3,852.31**
	मुख्य सिंचाई	1,506.56	962.27	..	2,468.83
	मध्यम सिंचाई	216.53	524.66	..	741.19
	लघु सिंचाई	6.41	..	..	6.41
	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	..	320.60	..	320.60
	कमाण्ड क्षेत्र विकास	315.28	..	..	315.28

(क) माइनस आंकड़े खर्च से अधिक प्राप्तियों तथा वसूलियों के कारण थे।

4. व्यय की विवरणी (समेकित निधि) - *जारी*

क - कार्य अनुसार व्यय

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम	जोड़
ग.	**आर्थिक सेवाएं - *समाप्त***				
ग. 4	**ऊर्जा-**	**7,130.31**	**0.06**	**10.30**	**7,140.67**
	विद्युत	6,749.31	..	10.30	6,759.61
	नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा	381.00	0.06	..	381.06
ग. 5	**उद्योग और खनिज-**	**457.21**	**22.68**	**650.87**	**1,130.76**
	ग्राम और लघु उद्योग	264.61	14.53	19.29	298.43
	उपभोक्ता उद्योग	..	0.14	631.58	631.72
	उद्योग	82.69	8.01	..	90.70
	अलोह धातु खनन और धातु कर्मीय उद्योग	109.91	..	..	109.91
ग. 6	**परिवहन**	**2,935.81**	**2,823.87**	**..**	**5,759.68**
	सिविल विमानन	7.07	208.08	..	215.15
	सड़कें और पुल	866.40	2,618.85	..	3,485.25
	सड़क परिवहन	2,062.34	(-)3.06(क)	..	2,059.28
ग. 7	**विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण**	**20.36**	**10.35**	**..**	**30.71**
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13.31	10.35	..	23.66
	परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	7.05	..	..	7.05
ग. 8	**सामान्य आर्थिक सेवाएं-**	**184.63**	**270.64**	**..**	**455.27**
	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	103.22	..	..	103.22
	पर्यटन	51.95	19.90	..	71.85
	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	21.55	..	..	21.55
	सार्वजनिक आपूर्ति	0.23	..	..	0.23
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	7.68	250.74	..	258.42
	जोड़- ग आर्थिक सेवाएं	**19,549.46**	**5,012.25**	**867.77**	**25,429.48**
घ.	**सहायता अनुदान और अंशदान-**				
	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	..	..	..	..
	जोड़ - घ सहायतानुदान और अंशदान	**..**	**..**	**..**	**..**

(क) माइनस आंकड़े खर्च से अधिक प्राप्तियों तथा वसूलियों के कारण थे।

4. व्यय की विवरणी (समेकित निधि) - *जारी*

क - कार्य अनुसार व्यय					
					(₹ करोड़ में)
	विवरण	**राजस्व**	**पूंजीगत**	**ऋण एवं अग्रिम**	**जोड़**
ड़.	**सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्जे**	..	..	**98.48**	**98.48**
	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्जे	..	..	98.48	98.48
च.	**लोक ऋण**	..	..	**25,472.95**	**25,472.95**
	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	..	..	25,318.18	25,318.18
	केन्द्रीय सरकार से कर्जे और पेशगियाँ	..	..	154.77	154.77
छ.	**अन्तर राज्यीय निपटारा**	..	..	..	..
ज.	**आकस्मिक निधि में विनियोजन**	..	..	..	..
	जोड़- समेकित निधि व्यय	**98,425.06**	**11,045.58**	**26,439.20**	**1,35,909.84**(क)

(क) वास्तविक कुल खर्चा ₹ 0.02 करोड़ का अन्तर पूर्णांक के कारण है।

4. व्यय की विवरणी (समेकित निधि) - *जारी*

ख. प्रकृति अनुसार व्यय

(₹ करोड़ में)

	2021-22			2020-21			2019-20		
व्यय का उद्देश्य	राजस्व	पूंजीगत	जोड़	राजस्व	पूंजीगत	जोड़	राजस्व	पूंजीगत	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ऋण	..	26,439.22	26,439.22	..	31,223.30	31,223.30	..	17,084.76	17,084.76
वेतन	19,052.39	1,045.15	20,097.54	19,139.09	848.13	19,987.22	18,781.31	779.82	19,561.13
ब्याज	19,271.18	301.45	19,572.63	17,946.10	515.44	18,461.54	16,368.39	639.94	17,008.33
पेंशन	16,973.63	1.23	16,974.86	14,995.51	0.93	14,996.44	13,263.47	0.93	13,264.40
सहायतानुदान	12,445.81	..	12,445.81	13,012.47	..	13,012.47	11,337.35	..	11,337.35
अग्रिम	89.00	12,193.91	12,282.91	89.00	12,345.31	12,434.31	89.00	13,213.50	13,302.50
वित्तिय सहायता	9,535.49	..	9,535.49	7,650.39	..	7,650.39	8,105.18	..	8,105.18
आतिथ्य / मनोरंजन खर्चे	10.53	..	10.53	..	..	..	..	..	..
मुख्य कार्य	0.32	10,201.87	10,202.19	3.86	5,935.10	5,938.96	..	6,569.69	6,569.69
मंहगाई भत्ता	4,172.56	..	4,172.56	2,783.84	..	2,783.84	2,545.81	..	2,545.81
योगदान	1,569.62	..	1,569.62	1,520.62	..	1,520.62	1,189.47	..	1,189.47
ऊर्जा प्रभार	1,377.21	..	1,377.21	1,465.02	..	1,465.02	1,130.88	..	1,130.88
वर्दी/पोशाक	13.61	..	13.61	..	..			..	
रख-रखाव	1,277.35	..	1,277.35	1,268.64	..	1,268.64	1,286.06	..	1,286.06
उपदान	1,236.77	..	1,236.77	1,220.96	..	1,220.96	1,091.73	..	1,091.73
अनुसूचित जाति के लिए विशेष अवयव	1,094.95	73.02	1,167.97	975.79	126.70	1,102.49	1,131.58	212.01	1,343.59
मानदेय	1,133.32	..	1,133.32	1,058.12	..	1,058.12	955.28	..	955.28
अनुबधित सेवाऐं	1,292.70	..	1,292.70	1,010.61	..	1,010.61	874.72	..	874.72
अन्य चार्ज	990.59	0.33	990.92	980.25	..	980.25	1,143.37	..	1,143.37
सामग्री और आपूर्ति	1,135.47	..	1,135.47	763.25	..	763.25	657.30	..	657.30
मजदूरी	794.91	..	794.91	634.22	..	634.22	643.83	..	643.83
लधु कार्य	931.60	0.40	932.00	633.29	(-)0.65	632.64	549.63	..	549.63
निवेश	500.00	283.54	783.54		550.20	550.20		5,860.15	5,860.15
एक्स ग्रेसिया	517.74	..	517.74	470.22	..	470.22	487.00	..	487.00
बेरोजगारी भत्ता	688.94	..	688.94	386.95	..	386.95	370.94	..	370.94
पेट्रोल तेल तथा तैलीय पदार्थ	639.62	..	639.62	378.98	..	378.98	108.72	..	108.72
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	489.06	..	489.06	370.36	..	370.36	369.18	..	369.18
प्रतिपूर्ति	70.21	62.09	132.30	296.63	47.18	343.81	64.25	94.93	159.18
कार्यालय व्यय	204.83	..	204.83	251.81	..	251.81	199.91	..	199.91
छात्रवृत्ति एवं वजीफा	321.01	..	321.01	230.19	..	230.19	222.69	..	222.69
भण्डार एवं सामान	230.79	0.04	230.83	187.85	..	187.85	86.46	0.08	86.54
फीडिंग/कैस डोल्ज़	249.92	..	249.92	186.15	..	186.15	104.53	..	104.53
मोटर वाहन	71.33	..	71.33	152.15	..	152.15	578.26	..	578.26
विविध	111.91	..	111.91	111.87	..	111.87	254.40	..	254.40
यात्रा व्यय	129.77	..	1,29.77	111.51	..	111.51	179.51	..	179.51
व्यवसायिक एवं विशिष्ट सेवा	129.29	..	1,29.29	98.66	..	98.66	77.35	..	77.35

4. व्यय की विवरणी (समेकित निधि) - *समाप्त*

ख. प्रकृति अनुसार व्यय

(₹ करोड़ में)

	2021-22			2020-21			2019-20		
व्यय का उद्देश्य	राजस्व	पूंजीगत	जोड़	राजस्व	पूंजीगत	जोड़	राजस्व	पूंजीगत	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
किराया दर एवं कर	245.83	..	245.83	95.48	..	95.48	125.91	..	125.91
कम्प्यूटरीकरण	129.26	..	129.26	91.07	..	91.07	152.27	..	152.27
ऐच्छिक अनुदान	126.49	..	126.49	82.05	..	82.05	157.08	..	157.08
जल शुल्क	7.09	..	7.09	63.89	..	63.89	2.81	..	2.81
विज्ञापन और प्रचार	114.77	..	114.77	54.99	..	54.99	137.30	..	137.30
क्रय	109.68	24.03	133.71	19.99	26.23	46.22	8.57	4.41	12.98
भूमी	..	46.97	46.97	..	45.26	45.26	..	80.32	80.32
ह्रास	40.24	..	40.24	43.96	..	43.96	43.86	..	43.86
अनुसंधान एवं विकास	1.18	24.64	25.82	0.92	38.08	39.00	0.18	56.47	56.65
गुप्त सेवाएं	52.23	..	52.23	38.88	..	38.88	36.63	..	36.63
अवकाश यात्रा रियायत	215.86	..	215.86	38.38	..	38.38	394.33	..	394.33
भवन	..	19.11	19.11	..	27.69	27.69	..	27.59	27.59
	80.29	..	80.29	..	..	..	..	..	..
निर्वाचन व्यय	14.59	..	14.59	23.53	..	23.53	91.60	..	91.60
मशीनरी तथा सामान	7.04	2.75	9.79	10.49	5.75	16.24	27.26	46.50	73.76
उपहार और पुरस्कार	21.30	..	21.30	9.70	..	9.70	26.82	..	26.82
प्रशिक्षण	15.80	..	15.80	8.27	..	8.27	15.89	..	15.89
प्रतिवद्धता शुल्क	11.21	..	11.21	5.79	..	5.79	4.78	..	4.78
फर्नीचर	1.02	1.14	2.16	0.44	3.63	4.07	1.03	4.83	5.86
प्रकाशन	3.11	..	3.11	3.88	..	3.88	7.44	..	7.44
अन्य	6.28	..	6.28	23.09	..	23.09	26.92	..	26.92
उचंत	(-)	..	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0.14	(-)
	515.45		515.45	327.84	0.51	328.35	328.04		327.90
वसूलियां	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
घटायें	1,016.21	13,236.11	14,252.32	724.72	14,644.77	15,369.49	331.99	9,925.38	10,257.15
जोड़ -	**98,425.04**	**37,484.78**	**1,35,909.82**	**89,946.60**	**37,093.00**	**1,27,039.60**	**84,848.21**	**34,750.69**	**1,19,598.90**

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य लेखा शीर्ष	विवरण	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय	प्रतिशतता वृद्धि (+)/कमी (-)
				(₹ करोड़ में)		
क.	**सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा**					
4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	..	..	10.10	10.10	100.00
4055.	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	160.37	2,204.23	137.19	2,341.42	(-)14.45
4058.	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	0.13	11.25	0.26	11.51	100.00
4059	लोक निर्माण-कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	227.11	3,252.22	414.53	3,666.75	82.52
जोड़-क	**सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा**	**387.61**	**5,467.70**	**562.08**	**6,029.78**	**45.01**
ख.	**सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा--**					
(क)	**शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति का पूंजीगत लेखा**					
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	409.32	3,106.09	578.60	3,684.69	41.36
जोड़-(क)	**शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा**	**409.32**	**3,106.09**	**578.60**	**3,684.69**	**41.36**
(ख)	**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा--**					
4210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	766.37	2,755.77	895.70	3,651.47	16.88
4211	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	..	40.81	..	40.81	..
जोड़-(ख)	**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा**	**766.37**	**2,796.58**	**895.70**	**3,692.28**	**16.88**

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी - *जारी*

मुख्य लेखा शीर्ष	विवरण	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय	प्रतिशतता वृद्धि (+)/कमी (-)
				(₹ करोड़ में)		
ख.	**सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा**					
	(ग) जलापूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-					
4215	जलापूर्ति और सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	944.12	15,770.90	1,693.09	17,463.99	79.33
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	86.09	804.54	103.41	907.95	20.12
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	564.29	5,803.77	2,015.28	7,819.05	257.14
	जोड़-(ग)जलापूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास का पूंजीगत लेखा	**1,594.50**	**22,379.21**	**3,811.78**	**26,190.99**	**139.06**
	(घ) सूचना एवं प्रसारण का पूंजीगत लेखा					
4220	सूचना एवं प्रसारण का पूंजीगत परिव्यय	80.00	192.89	78.05	270.94	(-)2.44
	जोड़-(घ)सूचना एवं प्रसारण का पूंजीगत लेखा	**80.00**	**192.89**	**78.05**	**270.94**	**(-)2.44**
	(ड.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा					
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.48	68.86	..	68.86	(-)100.00
	जोड़-(ड़)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा	**0.48**	**68.86**	**..**	**68.86**	**(-)100.00**
	(च) सामाजिक कल्याण तथा पोषाहार का पूंजीगत लेखा--					
4235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	64.55	625.47	62.02	687.49	(-)3.92
	जोड़-(च)सामाजिक कल्याण तथा पोषाहार का पूंजीगत लेखा	**64.55**	**625.47**	**62.02**	**687.49**	**(-)3.92**

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी - *जारी*

मुख्य लेखा शीर्ष	विवरण	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय	प्रतिशतता वृद्धि (+)/कमी (-)
				(₹ करोड़ में)		
ख.	**सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा**					
(छ)	**अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-**					
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	70.90	1,384.55	45.09	1,428.46 (क)	(-)36.40
जोड़-(छ)	**अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा**	**70.90**	**1,384.55**	**45.09**	**1,428.46 (क)**	**(-)36.40**
	जोड़-ख सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	**2,986.12**	**30,553.65**	**5,471.24**	**36,023.71 (क)**	**83.22**
ग.	**आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-**					
(क)	**कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा-**					
4401	कृषि कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	1.77	8.18	2.23	10.41	25.99
4402	भूमि और जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	..	1.37	..	1.37	..
4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	10.00	69.04	11.32	80.36	13.20
4404	डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	..	18.47	..	18.47	..
4405	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	..	3.92	..	3.92	..
4406.	वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	..	1.57	..	1.57	..
4408	खाद्य भण्डारण तथा भण्डारागार पर पूंजीगत परिव्यय	(-)1,243.04(ग)	8,369.75	(-)148.59(ग)	8,221.16	(-)88.05
4416	कृषिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश	..	0.53	..	0.53	..
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	59.42	786.18	112.12	832.33(ख)	88.69
4435	अन्य कृषिक कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	..	(-)2.08	..	(-)2.08(ग)	..
जोड़-(क)	**कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा**	**(-)1,171.85(ग)**	**9,256.93**	**(-)22.92(ग)**	**9,168.04 (ख)**	**(-)98.04**

(क) ₹ 1.18 करोड़ की प्रोफार्मा कमी पूंजीगत विनिवेश/ निवृत्ति के कारण की गई।

(ख) ₹ 65.97 करोड़ की प्रोफार्मा कमी पूंजीगत विनिवेश/ निवृत्ति के कारण की गई।

(ग) माईनस आंकड़े व्यय से अधिक प्राप्तियों तथा वसूलियों के कारण था

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी - *जारी*

मुख्य लेखा शीर्ष	विवरण	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय	प्रतिशतता वृद्धि (+)/कमी (-)
				(₹ करोड़ में)		
ग.	**आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - *जारी***					
(ख)	**ग्रामीण विकास का पूंजीगत लेखा**					
4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम का पूंजीगत परिव्यय	97.06	129.51	100.04	229.55	3.07
	जोड-(ख) ग्रामीण विकास का पूंजीगत लेखा	**97.06**	**129.51**	**100.04**	**229.55**	**3.07**
(घ)	**सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण का पूंजीगत लेखा**					
4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	690.03	7,500.94	962.27	8,463.21	39.45
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	412.53	8,003.96	524.66	8,528.62	27.18
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	..	550.71	..	550.71	..
4711	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	263.19	2,902.78	320.60	3,223.38	21.81
	जोड-(घ) सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण का पूंजीगत लेखा	**1,365.75**	**18,958.39**	**1,807.53**	**20,765.92**	**32.35**
(ड़)	**ऊर्जा का पूंजीगत लेखा--**					
4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	523.50	29,324.88	..	29,324.88	(-)100.00
4810	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3.59	8.22	0.06	8.28	(-)98.33
	जोड़-(ड.) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा	**527.09**	**29,333.10**	**0.06**	**29,333.16**	**(-)99.99**
(च)	**उद्योग और खनिजों का पूंजीगत लेखा--**					
4851	ग्राम और लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	4.58	43.03	14.53	57.56	217.25
4854	सीमेंट और अधातु खनिज उद्योगों पर पूंजीगत	..	0.03	..	0.03	..
4858	इंजीनियरिंग उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	..	0.41	..	0.41	..
4859	दूर संचार तथा इलैक्ट्रोनिक उद्योगों पर पूंजीगत	..	11.95	..	11.95	..
4860	उपभोक्ता उद्योगों पर पंजीगत परिव्यय	0.20	46.08	0.14	46.22	(-)30.00
4875	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	..	0.09	..	0.09	..

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी - *जारी*

मुख्य लेखा शीर्ष	विवरण	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय	प्रतिशतता वृद्धि (+)/कमी (-)
				(₹ करोड़ में)		
ग.	**आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - *जारी***					
(च)	**उद्योग और खनिजों का पूंजीगत लेखा--**					
4885	उद्योग और खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	0.01	289.42	8.01	297.43	80000.00
	जोड़-(च) उद्योग और खनिजों का पूंजीगत लेखा	**4.79**	**391.01**	**22.68**	**413.69**	**373.49**
(छ)	**परिवहन का पूंजीगत लेखा--**					
5053	सिविल विमानन पर पंजीगत परिव्यय	93.77	309.19	208.08	517.27	121.90
5054	सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	1,372.03	20,405.44	2,618.85	23,024.29	90.87
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	47.54	1,719.88	(-)3.06(घ)	1,716.82	(-)106.44
	जोड़-(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा	**1,513.34**	**22,434.51**	**2,823.87**	**25,258.38**	**86.60**
(झ)	**विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा**					
5425	अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	23.00	48.50	10.35	58.85	(-)55.00
	जोड-(झ) विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा	**23.00**	48.50	**10.35**	58.85	(-)**55.00**
(ण)	**सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा**					
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	28.28	410.20	19.90	430.10	(-)29.63
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	108.51	1,051.64	250.74	1,302.38	131.08
	जोड़-(ण) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	**136.79**	**1,461.84**	**270.64**	**1,732.48**	**97.85**
	जोड़-ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	**2,495.97**	**82,013.79**	**5,012.25**	**86,960.07** (क)	**100.81**
	कुल योग	**5,869.70**	**1,18,035.14**	**11,045.57**(ग)	**1,29,013.56** (ख)	**88.18**

(क) ₹ 65.97 करोड़ की प्रोफार्मा कमी पूंजीगत विनिवेश/ निवृत्ति के कारण की गई।

(ख) ₹ 67.15 करोड़ की प्रोफार्मा कमी पूंजीगत विनिवेश/ निवृत्ति के कारण की गई।

(ग) वर्ष 2021-22 तक के वास्तविक पूंजीगत व्यय से ₹ 0.01 करोड़ भिन्न पूर्णांकन के कारण ।

(घ) माइनस आंकड़े खर्च से अधिक प्राप्तियों तथा वसूलियों के कारण थे।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी - *समाप्त*

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों और सहकारी संस्थाओं के शेयरों में सरकारी निवेशों के ब्यौरे विवरणी संख्या 19 में दिए गए हैं।

वर्ष 2021-22 में सरकार ने ₹ 366.28 करोड़ निवेशित किए हैं, सरकारी कम्पनियों में (₹160.00 करोड़), सहकारी संस्थाओं में (₹ 206.28 करोड) । सहकारी संस्थाओं में निवेश से ₹ 67.15 करोड वर्ष के दौरान निवृत्त किए गए हैं।

वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के अन्त में विभिन्न प्रतिष्ठानों की शेयर पूंजी में सरकार के कुल निवेश क्रमशः ₹ 36,922.92 करोड़, ₹ 37,566.55 करोड़ और ₹ 37,865.68 करोड़ थे। तीन वर्षों के दौरान उन से प्राप्त लाभांश क्रमशः ₹ 87.01 करोड़ (0.24 *प्रतिशत*), ₹ 163.14 करोड़ (0.43 *प्रतिशत*) और ₹ 1,007.59 करोड़ (2.66 *प्रतिशत*) था। विस्तृत विवरण विवरणी संख्या 19 में दिया गया है ।

2. सिंचाई निर्माण-कार्यों, जिनके पूंजीगत और राजस्व लेखे रखे जाते हैं, के वित्तीय परिणाम परिशिष्ट VIII में दिए गए हैं ।

3. वचनबद्धता की विवरणी के रूप में अपूर्ण परियोजनाओं के विवरण परिशिष्ट-IX में दिए गए हैं ।

4. पांच विभागीय प्रबन्धित सरकारी वाणिज्यिक तथा अर्ध वाणिज्यिक उपक्रमों, जिनका निवल व्यय निम्न तालिका में दर्शाया गया है के 2021-22 के प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किये गये हैं (जून 2022)।

इन विभागीय प्रबन्धित सरकारी उपक्रमों के कार्य चालन के वित्तीय परिणाम का सारांश नवीनतम उपलब्ध प्रोफार्मा लेखे के अनुसार नीचे दिखाया गया है:-

क्रम संख्या	उपक्रम/योजना	मुख्य शीर्ष जिसके अन्तर्गत कार्य-व्यय लेखांकित किया गया	लेखे का वर्ष	नियोजित पूंजी	लाभ (+) हानि (-)	नियोजित पूंजी से संबंधित लाभ या हानि की प्रतिशतता
				(₹ करोड़ में)		
1.	मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग-राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक योजना	4058 मुद्रण तथा लेखन सामग्री पर पूंजीगत परिव्यय	2007-08	17.97	(+)1.74	(+)9.68
2.	कृषि विभाग-	4401 कृषि कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय				
	(i) बीज डिपो योजना		1988-89	..(क)	(-)0.01	..(क)
	(ii) कीटनाशक दवाईयों का क्रय तथा वितरण		1986-87	0.82	(+)0.13	15.85
3.	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग-अनाज आपूर्ति योजना	4408 खाद्य संरक्षण और भण्डारागार पर पूंजीगत परिव्यय	2017-18	9,098.50	(-)289.05	3.18
4.	परिवहन विभाग-हरियाणा राज्य परिवहन	5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	2017-18	1,532.13	(-)686.70	44.82

(क) विभाग से सूचना प्राप्त नहीं हुई (जून 2022)

6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी

(1) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण *

उधारों का स्वरूप	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान वापसियां	31 मार्च 2022 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (-)		लोक ऋण व अन्य दायित्वों से प्रतिशतता
क लोक-ऋण					राशि	प्रतिशत	
					(₹ करोड़ में)		
6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण							
बाजार कर्जे	1,61,216.44	30,497.76	6,356.65	1,85,357.55	24,141.11	14.97	67.23
तरीके एवं साधन आरबीआई से अग्रिम	..	2,775.83	2,775.83	..	..	..	..
बन्ध-पत्र	25,950.00	..	3,460.00	22,490.00	(-)3,460.00	(-)13.33	8.16
वित्तीय संस्थानों से कर्जे	7,857.40	14,101.31	11,566.96	10,391.75	2,534.35	32.25	3.77
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	8,360.73	..	999.86	7,360.87	(-)999.86	(-)11.96	2.67
अन्य कर्जे	573.64	193.32	158.88	608.08	34.44	6.00	0.22
जोड़- 6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	**2,03,958.21**	**47,568.22**	**25,318.18**	**2,26,208.25**	**22,250.04**	**10.91**	**82.05**
6004 केन्द्रीय सरकार से कर्जे तथा पेशगियां	5,851.97	7,537.39	154.77	13,234.59	7,382.62	126.16	4.80
क. कुल लोक ऋण	**2,09,810.18**	**55,105.61**	**25,472.95**	**2,39,442.84**	**29,632.66**	**14.12**	**86.85**

* विस्तृत लेखे विवरणी 17 व 21 में हैं।

6- उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी - *जारी*

(1)लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण(1)

उधारों का स्वरूप	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान वापसियां	31 मार्च 2022 को शेष	निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)		लोक ऋण व अन्य दायित्वों से प्रतिशतता
ख अन्य दायित्व					राशि	प्रतिशत	
					(₹ करोड़ में)		
राज्य भविष्य निधि	17,964.82	3,533.41	3,137.39	18,360.84	396.02	2.20	6.66
बीमा और पैंशन निधियां	32.09	35.89	34.37	33.61	1.52	4.74	0.01
ब्याज वाली आरक्षित निधियां	5,476.93	901.32	621.57	5,756.68	279.75	5.11	2.09
बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां	304.30	767.38	694.19	377.49	73.19	24.05	0.14
ब्याज वाली जमा	451.95	1,831.37	1,839.78	443.54	(-)8.41	(-)1.86	0.16
बिना ब्याज वाली जमा	9,019.61	36,246.06	33,984.26	11,281.41	2,261.80	25.08	4.09
जोड़- अन्य दायित्व	**33,249.70**	**43,315.43**	**40,311.56**	**36,253.57**	**3,003.87**	**9.03**	**13.15**
जोड़ क लोक-ऋण व अन्य दायित्व	**2,43,059.88**	**98,421.04**	**65,784.51**	**2,75,696.41**(क)	**32,636.53**	**13.43**	**100.00**

(1) विस्तृत लेखे विवरणी 17 व 21 में हैं

(क) 31 मार्च 2022 को कुल लोक ऋण तथा दायित्व का वास्तविक शेष ₹ 0.04 करोड़ के अन्तर का कारण पूर्णांकन है।

6- उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी - *जारी*

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. परिशोधन व्यवस्थाएं

राज्य सरकार ने निम्नलिखित कर्जों की वापसी के लिए परिशोधन व्यवस्थाएं की हैः-

निक्षेप निधि का नाम	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान निकासी	31 मार्च 2022 को अन्त शेष
			(₹ करोड़ में)	
1. संयुक्त राज्य पंजाब द्वारा भाखड़ा नंगल परियोजना के लिए प्राप्त कर्जे	0.22	..	..	0.22
2. भारत सरकार के समेकित खुले बाजार उधारों से प्राप्त कर्जे	1.91	..	..	1.91
3. बाजार कर्जों का परिशोधन	717.26	566.69	..	1,283.95
जोड़	**719.39**	**566.69**	**..**	**1,286.08**

निक्षेप निधि में कुल शेष ₹ 1,286.08 में से ₹ 1,283.95 करोड़ भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किए गए।

2. **लघु बचत निधि से ऋणः** डाक घरों में एकत्रित 'लघु बचत योजनाओं' तथा 'लोक भविष्य निधि' में से ऋण राज्य व केन्द्र सरकारों के बीच 3:1 के अनुपात में विभाजित होते हैं। वर्ष 1999-2000 में इस उददेश्य के लिए लघु बचत संग्रहों में से ऋण जारी करने हेतु एक अलग निधि 'राष्ट्रीय लघु बचत निधि' के नाम से सृजित की गई। वर्ष 2021-22 के दौरान शून्य ऋण प्राप्त किए गए तथा ₹ 999.86 करोड़ अदा किए गए थे। वर्ष के अन्त में बकाया शेष ₹ 7,360.87 करोड़ था, जोकि 31 मार्च 2022 को राज्य सरकार के सकल लोक ऋण तथा कुल अन्य देयताओं का 2.67 *प्रतिशत* था।

3. **राज्य सरकार का आन्तरिक ऋणः** इस शीर्ष के अन्तर्गत खुले बाजार में एकत्रित कर्जों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम आदि से प्राप्त कर्जों से सम्बन्धित लेन-देन अभिलिखित किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान सरकार द्वारा ₹ 30,500.00 करोड़ के बीस बाजार कर्जे (वर्ष 2042 में ₹ 1,500.00 करोड़ 7.13 *प्रतिशत* ब्याज दर पर; वर्ष 2041 में ₹ 2,000.00 करोड़ 7.43 *प्रतिशत* ब्याज दर,पर; वर्ष 2039 में ₹ 1,500.00 करोड 6.68 *प्रतिशत* व्याज दर पर; वर्ष 2037 में ₹ 1,500.00 करोड़ 7.40 *प्रतिशत* और ₹ 2,000.00 करोड़ 7.07 *प्रतिशत* ब्याज दर से; वर्ष 2036 में ₹ 1,000.00 करोड़ 6.92 *प्रतिशत* और ₹ 1,000.00 करोड़ 6.92 *प्रतिशत* ब्याज दर; वर्ष 2033 में ₹ 2,000.00 करोड़ 6.95 *प्रतिशत* ब्याज दर से; वर्ष 2032 में ₹ 1,500.00 करोड़ 7.25 *प्रतिशत* ₹ 2,000.00 करोड़ 7.26 *प्रतिशत,* ₹ 1,500.00 करोड़ 7.13 *प्रतिशत* और ₹ 1,500.00 करोड़ 6.84 *प्रतिशत* ब्याज दर से; वर्ष 2031 में ₹ 1,500.00 करोड़ 6.99 *प्रतिशत,* ₹ 1,000.00 करोड़ 6.87, ₹ 1,500.00 करोड़ 6.98 *प्रतिशत* और ₹ 1,000.00 करोड़ 6.79 *प्रतिशत* ब्याज पर देय; वर्ष 2030 में ₹ 1,000.00 करोड़ 6.92 *प्रतिशत* ब्याज दर से; वर्ष 2029 में ₹ 1,500.00 करोड़ 7.09 *प्रतिशत* और ₹ 2,500.00 करोड़ 6.96 *प्रतिशत* ब्याज दर से और वर्ष 2028 में ₹ 1,500.00 करोड़ 6.63 *प्रतिशत* ब्याज दर से चुकाया जाना है) लिए गए। समस्त राशि नगद ली गई। 1967-68 से 2021-22 तक की अवधि के दौरान परिपक्व कर्जे के प्रति अदा किया कुल भुगतान ₹ 24,985.14 करोड़ था। परिपक्व कर्जे के विरूद्ध बकाया ₹ 0.02 करोड़ देयता थे।

6- उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी - *समाप्त*

बकाया बाजार कर्जों के ब्यौरे विवरणी संख्या 17 के अनुबन्ध में दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए कर्जे समस्त न्यूनतम रोकड़ शेषों में कमी से सम्बन्धित समायोजनों और पूर्णतया अस्थायी प्रकार के उधारों, जैसे साधारण और विशेष अर्थोपाय पेशगियां और बैंक ओवर ड्राफ्ट को दर्शाते हैं। लेन-देनों के ब्यौरे, विवरणी-2 के अनुबन्ध के नीचे व्याख्यात्मक टिप्पणियों में दिए गए हैं।

केन्द्रीय सरकार से कर्जे और पेशगियां- भारत सरकार से प्राप्त कर्जों और पेशगियों के ब्यौरे विवरणी संख्या 17 में दिए गए हैं।

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान ब्याज प्रभारों के रूप में राजस्व से पूरी की गई राशि नीचे दिए गए हैः-

	2021-22	2020-21	निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)
		(₹ करोड़ में)	
वर्ष के अन्त में सकल ऋण और अन्य दायित्व	**2,75,696.41**	**2,43,059.88**	**32,636.53**
(i) सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज-			
(क) लोक ऋण और अल्प बचतों, भविष्य निधियों, आदि पर	17,979.92	16,743.73	1,236.19
(ख) अन्य दायित्वों पर	381.69	370.94	10.75
जोड़	**18,361.61**	**17,114.67**	**1,246.94**
(ii) घटाएं-			
सरकार द्वारा दिए गए कर्जो और पेशगियों पर प्राप्त ब्याज	105.85	91.59	14.26
रोकड शेषों के निवेश पर प्राप्त ब्याज	25.45	29.49	(-)4.04
(iii) ब्याज प्रभारों की निवल राशि	**18,230.31**	**16,993.59**	**1,236.72**
(iv) राजस्व प्राप्तियों से (i) सकल ब्याज मद की प्रतिशतता	23.51	25.33	(-)1.82
(v) कुल राजस्व प्राप्तियों से (iii) निवल ब्याज मद की प्रतिशतता	23.34	25.15	(-)1.81
(ख) ऋण के कमी या परिहार के लिए विनियोग			
(i) बचत निधियों के अंशदान	..	..	..
(ii) अन्य विनियोग	..	..	..

इसके अतिरिक्त विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से प्राप्त ब्याज के कारण व्याज प्रभारों पर ₹ 1,211.03 करोड. एवं बाजार कर्जों पर प्रीमियम के रूप में ₹ 35.89 करोड़ समायोजन हुए।

वर्ष के दौरान सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशों तथा अन्य निवेशों से लाभांश के तौर पर ₹ 1,007.59 करोड़ की प्राप्ति भी हुई।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्जों तथा अग्रिमों की विवरणी

भाग-1 कर्जों तथा अग्रिमों का सारांश ऋणी समूहवार

ऋणी समूह	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान सवितरण	वर्ष के दौरान चुकौती	अशोध्य कर्ज तथा अग्रिमों को बटटे खाते डालना	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि / कमी(2-6)	बकायों में ब्याज भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8
						(₹ करोड़ में)	
शिक्षा,खेल,कला व संस्कृति	0.04	..	..	..	0.04	..	..
जल आपूर्ति,सफाई,आवास एंव शहरी विकास	800.19	..	0.01	..	800.18	(-)0.01	..
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग	0.44	..	..	..	0.44	..	..
सामाजिक कल्याण व पोषण	1.45	..	..	..	1.45	..	..
अन्य सामाजिक सेवाऐं	0.54	..	0.02	..	0.52	(-)0.02	..
कृषि व सहायक क्रियाकलाप	1,256.64	171.82	6.31	..	1,422.15	165.51	..
ग्रामीण विकास	103.95	34.79	0.25	..	138.49	34.54	..
सिंचाई व बाढ नियंत्रण	176.31	..	..	..	176.31	..	..
उर्जा	1,179.37	10.30	240.43	..	949.24	(-)230.13	..
उद्योग एंव खनिज	4,140.01	650.87	70.00	..	4,720.88	580.87	..
परिवहन	0.01	..	..	..	0.01	..	..
सामान्य वित्तीय एंव विपणन संस्थाऐं	12.66	..	..	..	12.66	..	..
राजकीय कर्मचारी	212.44	98.48	183.23	..	127.69	(-)84.75	..
जोड़ -ऋण तथा अग्रिम	**7,884.05**	**966.26**	**500.25**	**..**	**8,350.06**	**466.01**	**..**

निम्नलिखित ऋण के मामलों को शाश्वत ऋण के रूप में स्वीकृति मिल चुकी है।

क्रम सं.	ऋणी संस्था	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृति आदेश सं.	राशि	ब्याज दर
				(₹ करोड़ में)	

सूचना उपलब्ध नहीं है।

(क) 31 मार्च 2022 को ऋण तथा अग्रिम का वास्तविक शेष ₹ 0.03 करोड़ का अन्तर पूर्णांक के कारण है।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्जों तथा अग्रिमों की विवरणी - *जारी*

भाग-2 कर्जों तथा अग्रिमों का सारांशः ऋणी क्षेत्रवार

क्षेत्र	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान सवितरण	वर्ष के दौरान चुकौती	अशोध्य कर्ज तथा अग्रिमों को बटटे खाते डालना	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि / कमी(2-6)	बकायों में ब्याज भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8
					(₹ करोड़ में)		
सामान्य सेवाऐं	..	..	..	..	..	..	..
सामाजिक सेवाऐं	802.66	..	0.03	..	802.63	(-)0.03	..
आथिक सेवाऐं	6,868.95	867.79	316.98	..	7,419.76	550.81	..
शासकीय सेवाऐं	212.44	98.48	183.23	..	127.69	(-)84.75	..
जोड़ -	**7,884.05**	**966.27**	**500.24**	**..**	**8,350.08** (क)	**466.03**	**..**

(क) 31 मार्च 2022 में ऋण और अग्रिम का वास्तविक शेष ₹ 0.01 करोड़ का अन्तर पूर्णांक के कारण है।

टिप्पणियां - ब्यौरे के लिए राज्य सरकारों द्वारा दिए गए कर्जों तथा आग्रिमों के विस्तृत विवरणी-18 का भाग 1 देखें ।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्जों तथा अग्रिमों की विवरणी - *समाप्त*

भाग-3 ऋणी संस्थाओं के बकाया चुकौतियों का सारांश

ऋणी संस्था	31 मार्च 2022 को बकाया राशि			शीघ्रतम अवधी जिसमें बकाया संबंधित है	31 मार्च 2022 को संस्था की तुलना में कुल बकाया ऋण
	मूल	ब्याज	जोड़		
1	2	3	4	5	6
				(₹ करोड़ में)	
मध्यम आय वर्ग गृह स्कीम	0.27	..	0.27	1990-91	4.60
निम्न आय वर्ग गृह स्कीम	1.07	..	1.07	1990-91	27.58
ग्रामीण गृह स्कीम	0.92	..	0.92	1990-91	23.07
जोड़ -	**2.26**	**..**	**2.26**	..	**55.25**

टिप्पणियां - ब्यौरे के लिए राज्य सरकारों द्वारा दिए गए कर्जों तथा आग्रिमों के विस्तृत विवरणी 18 का भाग 2 देखें ।

8. सरकार के निवेशों की विवरणी

विभिन्न प्रतिष्ठानों में शेयर पूंजी तथा डिबेंचर में वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश

प्रतिष्ठानों के नाम	2021-22			2020-21		
	प्रतिष्ठानों की संख्या	वर्ष के अन्त तक निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश/ब्याज	प्रतिष्ठानों की संख्या	वर्ष के अन्त तक निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश/ब्याज
					(₹ करोड़ में)	
1. सांविधिक निगम	2	204.93	3.02	2	204.93	..
2. ग्रामीण बैंक	4	0.53	..	4	0.53	..
3. सरकारी कम्पनियाँ	32	36,689.68	1,003.93	31	36,529.68	161.87
4. अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियां और साझेदारियां	31	1.75	..	31	1.75	..
5. सहकारिता संस्थान एवं स्थानीय निकाय	42	968.79*	0.64	42	829.66	1.27
जोड़-	**111**	**37,865.68**	**1,007.59**	**110**	**37,566.55**	**163.14**

* वर्ष के दौरान निवेश से, ₹ 67.15 करोड निवृत्त किए गए हैं।

9. सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विवरणी

गारंटियो का क्षेत्रवार विवरण -

क्षेत्र(गारंटियों की संख्या कोष्ठक में है)	वर्ष के दौरान अधिकतम गारंटीशुदा राशि	वर्ष 2021-22 के आरम्भ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन(प्रदत्त गारंटियों को छोडकर)	वर्ष के दौरान प्रदत्त		वर्ष 2021-22 के अन्त में बकाया	गारंटी कमीशन अवथा शुल्क		अन्य सामग्री विवरण
					उन्मोचित	**उन्मोचित न की गई**		**प्राप्य**	**प्राप्त**	
								(₹ करोड़ में)		
विद्युत (37)	6,726.31	5,425.91	1,300.40	834.69	..	..	5,891.62	39.81	38.27	..
सहकारिता (6)	613.43	448.82	164.61	127.52	..	..	485.91	6.49	0.85	..
शहरी विकास एवं हाउसिंग (19)	18,872.97	13,851.67	5,021.30	3,935.45	..	..	14,937.52	120.02	60.02	..
अन्य ढांचा (15)	4,366.32	3,326.78	1,039.54	1,338.80	..	..	3,027.52	23.65	20.00	..
जोड़ -77	**30,579.03**	**23,053.18**	**7,525.85**	**6,236.46**	**..**	**..**	**24,342.57(क)**	**189.97**	**119.14**	**..**

(क) वर्ष 2021-22 के अन्त में वास्तविक कुल खर्चा ₹ 0.01 करोड़ का अन्तर पूर्णांक के कारण है।

नोटः डेटा स्त्रोत: राज्य सरकार, वित विभाग।

10. राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी

अनुदान गारंटी का नाम /श्रेणी	सहायता अनुदान के रूप में जारी की गई कुल निधियॉ			कुल निधियों में से पूंजीगत सम्पतियों के सृजन के लिए आवंटित निधियॉ		
1	2			3		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सम्मिलित सीएसएस/सीएस)	जोड़	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सम्मिलित सीएसएस/सीएस)	जोड़
			(₹ करोड़ में)			
1. पंचायती राज संस्थान						
(i) जिला परिषद	435.92	519.05	954.97	350.94	517.41	868.35
(ii) पंचायत समीतियां	..	..	..	..	..	..
(iii) ग्राम पंचायत	..	..	..	..	..	..
2. शहरी स्थानीय निकाय						
(i) नगर निगम	..	..	..	..	..	..
(ii) नगर परिषद	2,751.64	720.46	3,472.10	2,119.74	362.48	2,482.22
(iii) अन्य	..	..	..	..	..	..
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम						
(i) राजकीय कम्पनियाँ	..	..	..	..	..	..
(ii) संवैधानिक निगम	1,492.73	193.28	1,686.01	408.74	..	408.74
4. स्वायत निकाय						
(i) विश्वविद्यालय निकाय	2,214.74	418.08	2,632.82	93.85	..	93.85
(ii) विकास प्राधिकारण	708.47	364.00	1,072.47	140.85	33.75	174.60
(iii) सहकारी संस्थाएँ	..	..	..	..	..	..
(iv) अन्य	2,057.95	569.49	2,627.44	117.94	..	117.94
जोड़ -	**9,661.45**	**2,784.36**	**12,445.81**	**3,232.06**	**913.65**	**4,145.71**

10. राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी - *समाप्त*

गारंटी नाम/श्रेणी	पुण्य सहायता अनुदान का कुल मूल्य	पूंजी परिसंपत्ति स्वरूप की पुण्य में सहायता अनुदान का मूल्य
1	2	3
	(₹ करोड़ में)	
(i) अन्य निकाय	52.62	..
जोड़ -	**52.62**	..

11.प्रभारित और दत्तमत व्यय की विवरणी

वास्तविक आंकड़े						(₹ करोड़ में)
	2021-22			2020-21		
ब्यौरे	प्रभारित	दत्तमत	जोड़	प्रभारित	दत्तमत	जोड़
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	18,597.22	79,827.82	98,425.04	17,304.31	72,642.29	89,946.60
व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	40.00	11,005.56	11,045.56	71.28	5,798.42	5,869.70
लोक ऋण के अन्तर्गत संवितरण (क)	25,472.96	..	25,472.96	29,497.60	..	29,497.60
कर्जे तथा पेशगियाँ (क)	..	966.26	966.26	..	925.70	925.70
आकस्मिक निधि से विनियोजन	..	..	..	..	800.00	800.00
जोड़ -	**44,110.18**	**91,799.64**	**1,35,909.82**	**46,873.19**	**80,166.41**	**1,27,039.60**
(क) आंकड़े निम्न प्रकार से निकाले गए हैं:-						
ड़ - लोक ऋण--						
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	25,318.18	..	25,318.18	29,167.44	..	29,167.44
केन्द्रीय सरकार से कर्जे और पेशगियां	154.77	..	154.77	330.16	..	330.16
जोड़ -	**25,472.95**	**..**	**25,472.95**	**29,497.60**	**..**	**29,497.60**
च. कर्जे तथा पेशगियों *						
सामान्य सेवायों के लिए कर्जे	..	..	..	..	..	..
सामाजिक सेवायों के लिए कर्जे	..	..	..	..	..	..
आर्थिक सेवायों के लिए कर्जे	..	867.79	867.79	..	723.99	723.99
सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्जे आदि	..	98.48	98.48	..	201.71	201.71
जोड़ - कर्जे तथा पेशगियां	**..**	**966.27**	**966.27**	**..**	**925.70**	**925.70**

*अधिक ब्यौरे, खण्ड-II की विवरणी संख्या 18 में दिये गये हैं।

(i) वर्ष 2021-22 व 2020-21 के दौरान प्रभारित व्यय व दत्तमत व्यय की कुल व्यय से प्रतिशतता निम्न प्रकार रही:-

वर्ष	प्रभारित	दत्तमत
2021-22	32.46	67.54
2020-21	36.90	63.10

12. राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए स्त्रोत व निधियों के उपयोग की विवरणी

विवरण	1 अप्रैल 2021 को	वर्ष 2021-22 के दौरान	31 मार्च 2022 को
		(₹ करोड़ में)	
पूंजीगत और अन्य व्यय--			
पूंजीगत व्यय (उप वर्ग अनुसार)			
अन्य वित्तीय सेवाएं	..	10.10	10.10
पुलिस	2,204.23	137.19	2,341.42
लेखन सामग्री और मुद्रण	11.25	0.26	11.51
लोक निर्माण	3,252.22	414.53	3,666.75
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	3,106.09	578.60	3,684.69
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	2,796.58	895.70	3,692.28
जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	22,379.21	3,811.78	26,190.99
सूचना एवं प्रसारण	192.89	78.05	270.94
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	68.86	..	68.86
सामाजिक कल्याण और पोषाहार	625.47	62.02	687.49
अन्य सामाजिक सेवाएं	1,384.55	45.09	1,428.46(क)
कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	9,256.93	(-)22.92	9,168.04(ख)
ग्रामीण विकास	129.51	100.04	229.55
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	18,958.39	1,807.54	20,765.93
ऊर्जा	29,333.10	0.06	29,333.16
उद्योग और खनिज	391.01	22.68	413.69
परिवहन	22,434.51	2,823.86	25,258.37
अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान	48.50	10.35	58.85
सामान्य आर्थिक सेवायें	1,461.84	270.64	1,732.48
जोड़-	**1,18,035.14**	**11,045.57**	**1,29,013.56(ग)**

(क) ₹ 1.18 करोड़, (ख) ₹ 65.97 करोड़, (ग) ₹ 67.15 करोड़ क्रमशः प्राफार्मा कमी पूंजीगत विनिवेश/सेवानिवृत्ति के कारण थी ।

12. राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के उपयोग की विवरणी - *जारी*

विवरण	1 अप्रैल 2021 को	वर्ष 2021-22 के दौरान	31 मार्च 2022 को
		(₹ करोड़ में)	
कर्जे और पेशगियां--			
विभिन्न सेवाओं के लिए कर्जे और पेशगियां--			
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	0.04	..	0.04
जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	800.19	(-)0.01	800.18
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0.44	..	0.44
सामाजिक कल्याण और पोषाहार	1.45	..	1.45
अन्य	0.54	(-)0.02	0.52
कृषि तथा संबंधित क्रिया कलाप	1,256.64	165.51	1,422.15
ग्रामीण विकास	103.95	34.55	138.50
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	176.31	..	176.31
ऊर्जा	1,179.37	(-)230.13	949.24
उद्योग और खनिज	4,140.01	580.87	4,720.88
परिवहन	0.01	..	0.01
सामान्य आर्थिक सेवाएं	12.66	..	12.66
सरकारी कर्मचारियों को कर्जे	212.44	(-)84.76	127.68
जोड़-- कर्जे और पेशगियां	**7,884.05**	**466.01**	**8,350.06**
आकस्मिकता निधि को विनियोजन	1,000.00	..	1,000.00
जोड़-- पूंजी और अन्य व्यय	**1,26,919.19**	**11,511.58**	**1,38,363.62 (क)**
घटाएं-			
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	345.12	67.15	412.27
निवल पूंजी और अन्य व्यय	**1,26,574.07**	**11,444.43**	**1,37,951.35**

(क) ₹ 67.15 करोड़ प्राफार्मा कमी पूंजीगत विनिवेश/निवृत्ति के कारण थी ।

12. राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए स्त्रोत व निधियों के उपयोग की विवरणी - *समाप्त*

विवरण	1 अप्रैल 2021 को	वर्ष 2021-22 के दौरान	31 मार्च 2022 को
		(₹ करोड़ में)	
निधियों के प्रमुख स्त्रोत–			
2020-21 में राजस्व आधिक्य (+)/ घाटा (-)/अधिशेष	(-)1,17,820.32	(-)20,333.34	(-)1,38,153.66
जमा-सेवानिवृत्ति/विनिवेश का समायोजन (क)	(-)345.12	..	(-)412.27(क)
ऋण--			
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	2,03,958.21	22,250.03	2,26,208.24
केन्द्रीय सरकार से कर्जे और पेशगियां	5,851.97	7,382.61	13,234.58
अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	17,996.91	397.53	18,394.44
जोड़	**2,27,807.09**	**30,030.17**	**2,57,837.26**
निधियों के प्रमुख स्त्रोतश्			
अन्य दायित्व			
आकस्मिकता निधि	1,000.00	..	1,000.00
ाौर पेशिगयां	9,470.82	2,253.39	11,724.21
विकास निधि, आरक्षित निधि, आदि से अंशदान	7,823.91	1,025.00	8,848.91
उचन्त और विविध (सरकारी लेखे में पड़ी राशि और निवेश लेखे में रोकड़ शेष)	(-)27.70	264.57	236.87
प्रेषण	312.85	1.75	314.60
जोड़ अन्य दायित्व	**18,579.88**	**3,544.71**	**22,124.59**
जोड़-- ऋण और अन्य दायित्व	**2,46,386.97**	**33,574.88**	**2,79,961.85**
घटाएं-- रोकड़ शेष	(-)462.93	92.23	(-)370.70
घटाएं-- निवेश	3,607.41	1,704.87	5,312.28
जोड़ें - 2020-21 के दौरान बंद लेखों की राशि	1,497.02	..	1,497.02
पूर्णांकन के कारण		(-)0.01	(-)0.01
निधियों का निवल प्रावधान	**1,26,574.07**	**11,444.43**	**1,37,951.35 (ख)**

(क) विवरणी के संतुलन हेतू इस पंक्ति में राशि सम्मिलित की गयी है ।

(ख) ₹ 1,38,018.50 करोड़ (₹ 1,26,574.07 करोड़ जमा ₹ 11,444.43 करोड़) से पूंजीगत विनिवेश/निवृत्ति के समायोजन के कारण ₹ 67.15 करोड़ भिन्न है ।

13 समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक-लेखे के अन्तर्गत शेषों का सारांश

31 मार्च 2022 को शेषों का सारांश नीचे दिया गया है

नामें (डेबिट) शेष	सामान्य लेखे का क्षेत्र	लेखे का नाम	जमा(क्रेडिट) शेष
(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)
2,66,670.20	क से घ, छ तथा ठ सैक्टर का भाग	**समेकित निधि**	..
		सरकारी लेखा	
..	ड़	लोक ऋण	2,39,442.82
7,884.07	च	कर्जे तथा अग्रिम	..
		आकस्मिकता निधि	
		आकस्मिकता निधि-	1,000.00
		लोक लेखा	
	झ	अल्प बचतें, भविष्य निधियां, आदि	18,394.45
		भविष्य निधियां	
		अन्य लेखे	
	ण	आरक्षित निधियां	
		(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	5,756.67
		सकल शेष	
		(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित	3,092.25
		निधियां-	
		सकल शेष	
2,714.76		निवेश	
		जमा और पेशगियां	
		(क) ब्याज वाले जमा	443.53
		(ख) बिना ब्याज वाले जमा	11,281.42

13 समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक-लेखे के अन्तर्गत शेषों का सारांश - *जारी*

31 मार्च 2021 को शेषों का सारांश नीचे दिया गया है

नामें (डेबिट) शेष	सामान्य लेखे का क्षेत्र	लेखे का नाम	जमा(क्रेडिट) शेष
(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)
		लोक लेखा-समाप्त	
0.74		(ग) अग्रिम	
	ठ	उचन्त और विविध	
		उचन्त	241.40
4.48		अन्य मदें	..
2,597.52		निवेश	..
0.06		विदेशी सरकारों के साथ लेखे	..
..	ड	प्रेषण	314.60
..		धनादेश तथा अन्य प्रेषण	..
..		अन्तर-सरकारी समायोजन लेखे	
(-)370.70	ढ	रोकड़ शेष (अन्त)	
		पूर्णांकन के कारण	(-)0.01
2,79,967.13		**जोड़**	**2,79,967.13**

टिप्पणी- भारतीय रिजर्व बैंक जमा जो कि सरकार के नकद शेष का भाग है के संबंध में लेखों में दर्शित आकडों एवं भारतीय रिजर्व बैंक सूचित आकडों में अन्तर है । विवरण के लिए विवरणी -2 के अनुबन्ध ,पृष्ठ-7 का संदर्भ ले ।

13 समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक-लेखे के अन्तर्गत शेषों का सारांश - *जारी*

व्याख्यात्मक टिप्पणीयाँ

1. शीर्ष "सरकारी लेखा" का महत्व नीचे स्पष्ट किया गया है :-

सरकारी लेखाओं में अनुसरित बही खाता पद्धति के अन्तर्गत राजस्व, पूंजीगत शीर्षों के अधीन लेखांकित राशियों और सरकार के लेन-देन जिनके शेष वर्षानुवर्ष आगे नहीं ले जाए जाते हैं, एक ही शीर्ष जिसे "सरकारी लेखा" कहा जाता है, को संवृत (कलोज) किए जाते हैं । इस शीर्ष के अधीन शेष ऐसे समस्त लेन-देनों के संचयी परिणाम को दर्शाता है ताकि उसमें लोक ऋण, कर्जे तथा अग्रिम, अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि, आरक्षित निधियां, जमा तथा अग्रिम, उचन्त और विविध (विविध सरकारी लेखे से अलग) प्रेषणों और आकस्मिकता निधि के अधीन शेषों को जोड़ने के बाद वर्ष के अन्त में अन्तिम रोकड़ शेष निकाला तथा सत्यापित किया जा सके ।

2021-22 के निम्नलिखित सरकारी लेखे से यह ज्ञात होता है कि वर्ष के अन्त में निवल राशि किस प्रकार निकाली गई है :-

नामें (डेबिट)	ब्यौरे	जमा(क्रेडिट)
(**₹ करोड़** में)		(**₹ करोड़** में)
2,35,358.44	(क) पहली 1 अप्रैल 2021 को सरकारी लेखे के नामें में शेष	
..	(ख) राजस्व प्राप्तियां	78,091.70
98,425.04	(ग) राजस्व लेखे पर व्यय	..
11,045.56	(घ) पूंजीगत लेखे पर व्यय	..
..	(ड़) पूंजीगत लेखे पर प्राप्तियॉ	67.15
..	(च) विविध सरकारी लेखे	..
..	(छ) 31 मार्च 2022 को सरकारी लेखे के नामें में शेष	2,66,670.20
..	(ज) आकस्मिकता निधि का विनियोग	..
	पूर्णांकन के कारण	(-)0.01
3,44,829.04	**जोड़**	**3,44,829.04**

13 समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक-लेखे के अन्तर्गत शेषों का सारांश - *समाप्त*

2. इस सारांश में अन्य शीर्षों के अन्तर्गत सरकारी पुस्तकों के सभी लेखा शीर्षों के शेष शामिल किए गए हैं जिनमें सरकार पर प्राप्त किए गए धन को वापिस करने का दायित्व होता है या सरकार अदा की गई रकम वसूल करने का अधिकार रखती है और इसके साथ ही लेखों के वे शीर्ष भी शामिल हैं जो प्रेषण से संबंधित लेन-देन के समायोजन के लिए पुस्तकों में खोले जाते हैं । यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि इन शेषों को हरियाणा सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा अभिलेख नहीं माना जा सकता क्योंकि इनके अन्तर्गत राज्य की समस्त भौतिक परिसम्पत्तियों जैसे भूमि-भवन, संचार साधन आदि को शामिल नहीं किया जाता और न ही इसमें ऐसी उपचित प्राप्यताओं (एक्रूद-डयूज) या बकाया देयताओं (आउटस्टेंडिग लाईबिलटीज) को शामिल किया जाता है जिन्हें सरकार द्वारा अनुसरित रोकड़ पद्धति के अन्तर्गत लेखे में नहीं लिया जाता ।

3. आकस्मिकता निधि और लोक लेखे से सम्बन्धित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों, संवितरणों और शेषों का सारांश विवरणी संख्या 21 में दिया गया है। बहुत से मामलों में, जो विवरणी संख्या 21 में अंकित हैं, उस विवरणी में दर्शाए गए अन्त शेष तथा लेखा कार्यालय/विभागीय कार्यालयों में इस प्रयोजन के लिए रखे गए पृथक रजिस्टरों या अन्य अभिलेखों में दिखाए गए अन्त शेषों के बीच ऐसे अन्तर हैं जिनका समाधान नहीं किया गया। त्रुटियों का यथाशीघ्र समाधान करने के लिए अपेक्षित ब्यौरे तथा प्रलेख एकत्रित करने के उपाय किए जा रहे हैं ।

4. शेषों को उनकी स्वीकृति के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को प्रति वर्ष सूचित किया जाता है । बहुत से मामलों में ऐसी स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हुई हैं। बहुत से मामलों में कई वर्षों का विलम्ब हुआ है कुछ उदाहरण जिनमें शेषों की बड़ी राशियों के सत्यापन और स्वीकृति में देर हुई है, परिशिष्ट-VII में दर्शाए गए हैं ।

वर्ष 2021-22 के लिए वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ

1. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश

(i) प्रतिवेदन इकाईः

ये लेखे हरियाणा सरकार के लेन-देन को दर्शाते हैं। हरियाणा सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखों का संकलन 24 कोषालयों, 117 लोक निर्माण मंडलों (59 भवन एवं सड़कें, 58 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी), 40 वन मंडलों, 86 सिंचाई/जल संसाधन मंडलों, 38 वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के आधार पर किया गया है। वर्ष के अन्त में कोई भी लेखा छोड़ा नहीं गया है। प्राथमिक संकलन कोषालय द्वारा एवं द्वितीयक संकलन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय द्वारा किया जाता है।

(ii) प्रतिवेदन समयावधिः

इन लेखों की प्रतिवेदन समयावधि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की है।

(iii) प्रतिवेदन मुद्राः

हरियाणा सरकार के लेखे भारतीय रूपयों (₹) में प्रतिवेदित किए जाते हैं।

(iv) लेखों के प्रारूपः

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत, संघ तथा राज्य के लेखे ऐसे प्रारूप में रखे जाते हैं, जैसा कि राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह से निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 150 में प्रयुक्त शब्द 'प्रारूप' का विस्तृत अर्थ है, जिसमें लेखों को रखने के विस्तृत रूप को ही न केवल निर्धारित करना है बल्कि खातों के संचित्र बनाने के लिए लेन देनों को वर्गीकृत करने के लिए सही खाता शीर्षों के चुनाव करने का आधार भी शामिल है।

(v) बजट और वित्तीय प्रतिवेदन का आधारः

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पहले अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय की विवरणी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरणियां (जिसे बजट कहा जाता है) अनुदान/विनियोग के रूप में विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। बजट को वसूलियों तथा प्राप्तियों जिन्हें अन्यथा व्यय में कमी में समायोजित करने की अनुमति होती है, के बगैर सकल आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। बजट तथा लेखों के शीर्षों से संबंधित सभी अनुदान/विनियोग, जिनके शेषों को आगे नहीं लिया जाता, वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाती हैं।

बजट एवं लेखेः राज्य के बजट एवं लेखे दोनों एक ही लेखा समयावधि, लेखांकन का नकद आधार तथा वर्गीकरण के समान आधार का पालन करते हैं। लेखों का वर्गीकरण भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से महालेखा नियंत्रक द्वारा अधिसूचित मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची के अनुसार लघु शीर्षो के स्तर पर

किया जाता है। लघु शीर्षों के नीचे का वर्गीकरण प्रत्येक राज्य में प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय की सहमति के अनुसार किया जाता है।

विनियोग लेखों के रूप में एक अलग बजटीय तुलनात्मक विवरणी प्रस्तुत की जाती है, जो अनुदानों/विनियोगों की तुलना में वास्तविक संवितरण दर्शाती है।

नकदी आधारः ऐसे पुस्तकीय समायोजनों जो कि अधिकृत हैं, को छोड़कर लेखे प्रतिवेदन समयावधि के दौरान, वास्तविक रोकड़ प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रदर्शित करते हैं। वित्त लेखों में प्राप्तियां तथा संवितरण निवल आधार पर ली जाती है; वसूलियों, कटौतियों तथा धन वापसी के निवल के रूप में।

पुस्तकीय समायोजनः

पुस्तकीय समायोजन गैर-नकद लेनदेन हैं जो लेखों में समायोजन/निपटान के रूप में दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ लेन-देन लेखा प्रतिपादन इकाइयों जैसे कोषालयों, मंडलों इत्यादि के स्तर पर वेतन से की गई कटौतियों तथा वसूलियों का राजस्व प्राप्तियों/ ऋणों/लोक लेखा में समायोजन, समेकित निधि एवं लोक लेखा के बीच 'शून्य बिल' से धन के हस्तांतरण इत्यादि उद्देश्यों हेतु किये जाते हैं।

पुस्तकीय समायोजन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में भी किए जाते हैं। इनमें, अन्य के साथ, समेकित निधि को नामे करके लोक लेखा में निधियों के सृजन तथा अंशदान दर्ज करना (जैसे राज्य आपदा राहत निधि, केंद्रीय सडक निधि, निक्षेप निधि,इत्यादि); समेकित निधि को नामे करके लोक लेखा के जमा शीर्षों को जमा करना; सामान्य भविष्य निधि तथा राज्य सरकार समूह बीमा योजना पर ब्याज का वार्षिक समायोजन मुख्य शीर्ष 2049 -ब्याज अदायगियां को नामे करके तथा लोक लेखा में संबंधित मुख्य शीर्षों को जमा करना; केंद्रीय वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार की योजना के अंतर्गत ऋण माफी का समायोजन, आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति, इत्यादि लेन-देन शामिल हैं।

पूंजीगत तथा राजस्व व्यय के बीच वर्गीकरणः एक स्थायी प्रकृति की साकार संपत्तियां अधिगृहण करने (संस्था में उपयोग के लिए तथा व्यवसाय के सामान्य क्रम में बिक्री के लिए नहीं) या मौजूदा परिसंपत्तियों की उपयोगिता बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए महत्वपूर्ण व्यय को मुख्यतः पूंजीगत व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है। रखरखाव, मरम्मत, अनुरक्षण एवं संचालन लागत पर बाद में किया गया व्यय, जोकि परिसम्पत्तियों को प्रचलन में रखने के लिए आवश्यक हैं तथा संस्था के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए किए गए अन्य सभी व्यय, जिसमें स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय शामिल हैं, को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पूंजीगत तथा राजस्व व्यय लेखों में अलग-अलग दर्शाए जाते हैं।

भौतिक एवं वित्तीय संपत्तियाँ तथा दायित्व : भौतिक संपत्तियां एवं वित्तीय संपत्तियां (जैसे सरकार द्वारा किए गए निवेश, ऋण तथा अग्रिम, इत्यादि) तथा दायित्व जैसे ऋण इत्यादि को मूल लागत पर मापा जाता है। भौतिक संपत्तियों का अवमूल्यन नही किया जाता तथा वित्तीय संपत्तियों का परिशोधन नहीं किया जाता। भौतिक संपत्तियों के अन्त पर उनकी हानि का मूल्यांकन नहीं किया जाता तथा न ही मान्य है।

सहायता अनुदान : भारत सरकार के लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.) 2ः सहायता अनुदान का लेखांकन तथा वर्गीकरण के अनुपालन में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत मामलों को छोड़कर, रोकड सहायता अनुदान को संवितरण के समय राजस्व व्यय माना जाता है, भले ही इस से अनुदेयी द्वारा परिसंपत्तियों का सृजन किया गया हो। सभी अनुदान प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियां माना जाता है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों के लेखांकन एवं वर्गीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने का विवरण वित्त लेखे की विवरणी 10 तथा परिशिष्ट III में दर्शाया गया है। वस्तुओं के रूप में दिए गए सहायता अनुदान की जानकारी भी विवरणी 10 में दर्शायी गयी है।

ऋण तथा अग्रिमः भारत सरकार के लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.) 3 : सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम के अनुपालन में, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों का विवरण वित्त लेखे की विवरणी 7 और 18 में दर्शाया गया है। विवरणियों में 31 मार्च 2022 को दर्शाए गए अंतिम शेषों का मिलान अभी राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

सेवानिवृति लाभः प्रतिवेदन समयावधि के दौरान संवितरण किए गए सेवानिवृति लाभों को लेखों में दर्शाया गया है, परन्तु पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के प्रति सरकार की भविष्य की पेंशन देयता जैसे कि अपने कर्मचारियों की पिछली और वर्तमान सेवा के लिए सेवानिवृति लाभों के भुगतान की देयता, लेखों में शामिल नहीं की गई है।

(vi) पूर्णांकनः

विवरणी के शीर्ष पर दर्शाए गए ₹ 'लाख में' एवं ₹ 'करोड़ में' के अनुसार आंकड़ों को पूर्णांकित किया गया है। खण्ड-I और खण्ड-II में क्रमशः सार विवरणी एवं विस्तृत विवरणी में ₹ 0.01 / 0.02 लाख /करोड़ का मामूली अंतर जहां कहीं भी है, पूर्णांकन के कारण है।

(vii) रोकड़ शेषः

लेखों में दर्ज किया गया रोकड़ शेष, राज्य सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय लेखा अनुभाग के साथ खाते में वर्ष के 31 मार्च के अंत में दर्ज राज्य का शेष होता है। रोकड़ शेष वर्ष के दौरान राज्य की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के नकद लेनदेनों के बाद शेषों को दर्शाता है। पुस्तकीय समायोजनों का रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं होता। वित्त लेखों में दर्ज रोकड़ शेष भारतीय रिजर्व बैंक की पुस्तकों के साथ मिलान के अधीन है।

(viii) आकस्मिक तथा प्रतिबद्ध देयताओं का प्रकटीकरणः

आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है। भारत सरकार के लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.)1ः 'सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियाँ' के अनुपालन में, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणों के अनुसार, क्षेत्र/वर्ग-वार गारंटियों का विवरण, वित्त लेखे की विवरणी 9 तथा 20 में दर्शाया गया है। हालांकि, गारंटियों के लिए ट्रैकिंग इकाई का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

सरकार प्रतिबद्धता लेखांकन का पालन नहीं करती है तथा प्रतिबद्धताओं को न तो दर्ज किया जाता है तथा न ही इनकी देयताओं को लेखों में दर्शाया जाता है, हालांकि ये अपनी भविष्य की प्रतिबद्धताओं को वित्त लेखे के परिशिष्ट XII में दर्शाती है।

(ix) निकासी लेनदेनः

राज्य द्वारा एकत्रित प्राप्तियां जिन्हें दूसरी इकाई को हस्तांतरित करना होता है, निकासी लेनदेनो की प्रकृति की होती है तथा इन्हें वित्त लेखों की टिप्पणियों में दर्शाया जाता है। इनमें राज्य की क्षतिपूरक वनीकरण लेखा प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सी.ए.एम.पी.ए.) निधि में वर्ष के दौरान संग्रहण का 10 *प्रतिशत,* वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय निधि में अंतरण शामिल हैं।

2. लेखांकन प्रणाली का अनुपालनः

(i) मासिक लेखों को बंद करने के बाद कोषागारों द्वारा लेखों को स्थिर न करनाः

मासिक लेखों को बंद करने के बाद कोषागारों द्वारा लेखों को स्थिर न करने से, प्रधान महालेखाकार कार्यालय में मासिक लेखे प्रस्तुत करने के बाद आंकड़ों से छेड़छाड़ की संभावना रहती है तथा इससे प्रधान महालेखाकार कार्यालय और राज्य सरकार के आंकड़ों के बीच अंतर हो सकता है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

(ii) अनाधिकृत शीर्षों का संचालनः

वर्ष 2021-22 के दौरान, हरियाणा राज्य सरकार ने 05 अनाधिकृत उप शीर्षों (पूंजीगत भाग के अंतर्गत 05) के अंतर्गत बजट प्रावधान किया तथा इन शीर्षों में 'शून्य व्यय किया।

(iii) बिना परामर्श के नए उप शीर्ष /विस्तृत लेखा शीर्ष खोलनाः

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, राज्य के लेखों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श के अनुसार 'प्रारूप' में रखा जाना है। वर्ष 2021-22 के दौरान, हरियाणा राज्य सरकार ने संविधान द्वारा अपेक्षित, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श के बिना, बजट में 05 नए उपशीर्ष (पूंजीगत भाग के अंतर्गत) खोले। वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार ने इन शीर्षों के अंतर्गत टोकन बजट का प्रावधान किया तथा इन शीर्षों में शून्य व्यय किया।

(iv) बजट प्रावधानों तथा गलत वर्गीकरण के वर्णन में विसंगतिः

राज्य सरकार के वर्ष 2021-22 के बजट दस्तावेजों में निम्नलिखित लेखा शीर्षों के संबंध में बजट प्रावधान तथा व्यय का सही वर्गीकरण नहीं दर्शाया गया हैः

(क) लोक ऋण के अंतर्गत, मुख्य शीर्ष 6004 से संबंधित ₹ 215.00 करोड़ के बजट प्रावधान को उप मुख्य शीर्ष 09 राज्यों/ विधानमंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए अन्य ऋण के स्थान पर उप मुख्य शीर्ष 02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए ऋण के अंतर्गत प्राप्ति के रूप में अनुमानित किया गया था। हालांकि, उपरोक्त उप मुख्य शीर्ष के विरूद्ध ₹ 7,537.39 करोड़ की वास्तविक प्राप्ति सही वर्गीकरण

के अंतर्गत प्राप्त हुई तथा तदानुसार प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय द्वारा दर्ज की गई।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ने वर्ष 2021-22 के बजट दस्तावेजों में आवश्यक संशोधन के लिए राज्य सरकार के समक्ष मामला उठाया है।

3. समेकित निधिः

(i) वस्तु एवं सेवा करः

वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य जी.एस.टी. संग्रहण, 2020-21 के ₹ 18,235.79 करोड़ की तुलना में, ₹ 4,686.36 करोड़ (25.70 *प्रतिशत*) की वृद्धि के साथ, ₹ 22,922.15 करोड़ हो गया। राज्य को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के राज्य को समनुदेशित निवल प्राप्तियों के अपने हिस्से के रूप में ₹ 2,763.35 करोड़ प्राप्त हुए। जी.एस.टी. के रूप में कुल प्राप्तियां ₹ 25,685.50 करोड़ थीं। राज्य को 2021-22 के दौरान जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के कारण हुए राजस्व के नुकसान के कारण राजस्व प्राप्ति के रूप में ₹ 2,908.67 करोड़ का मुआवजा मिला।

इसके अतिरिक्त, 2021-22 के दौरान, राज्य को जी.एस.टी. मुआवजे के बदले, केंद्र सरकार से बैक-टू बैक ऋण के रूप में ₹ 7,393.79 करोड़ का ऋण (31 मार्च 2022 तक ₹ 11,745.79 करोड़ का कुल बैक-टू बैक ऋण) भी प्राप्त हुआ जिसे भारत सरकार के व्यय विभाग के निर्णय के अनुसार वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नही माना जाएगा।

प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखे की विवरणी संख्या 14 तथा 17 में उपलब्ध हैं।

(ii) मुख्य नियंत्रक अधिकारियों (सी.सी.ओ.) तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के मध्य प्राप्तियों एवं व्यय का मिलानः

सभी नियंत्रक अधिकारियों को सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा द्वारा दर्ज आंकड़ों से करना अपेक्षित है। वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा ₹ 78,158.85 करोड़ (कुल राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का 100 *प्रतिशत*) की प्राप्तियों एवं ₹ 1,09,470.60 करोड़ (कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का 100 *प्रतिशत*) के व्यय का मिलान किया गया।

इसकी तुलना में, राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹ 67,623.97 करोड़ (कुल राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का 100 *प्रतिशत*) की प्राप्तियों तथा ₹ 95,816.30 करोड़ (कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का 100 *प्रतिशत*) के व्यय का मिलान किया गया था।

(iii) व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खातों को धन का हस्तांतरणः

पी.डी. खाते नामित आहरण अधिकारियों को एक योजना से संबंधित विशिष्ट प्रयोजनों हेतु व्यय करने में सक्षम बनाते हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान, इन पी.डी. खातों में ₹ 2,998.05 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई। इसमें मार्च 2022 में हस्तांतरित ₹ 661.33 करोड़ की राशि शामिल है। तथापि, मार्च 2022 के अंतिम कार्य दिवस पर कोई

राशि हस्तांतरित नहीं की गई थी।

कोषालय नियमों/वित्तीय नियमों/वित्तीय संहिता के अनुसार, व्यक्तिगत जमा खाते के किसी भी प्रशासक (159 में से) ने अपने शेष को कोषालय के आंकड़ों के साथ मिलान और सत्यापित नहीं किया था तथा उनके द्वारा कोषालय अधिकारी को आगे प्रधान महालेखाकार कार्यालय को भेजने के लिए कोई वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था।

31 मार्च 2022 को पी.डी. खातों का विवरण नीचे दिया गया हैः

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2021 को आरंभिक शेष		**वर्ष 2021-22 के दौरान वृद्धि**		**वर्ष 2021-22 के दौरान बंद/निकासी**		**31 मार्च 2022 को अंतिम शेष**	
प्रशासकों की संख्या	**राशि**	**प्रशासकों की संख्या**	**राशि**	**प्रशासकों की संख्या**	**राशि**	**प्रशासकों की संख्या**	**राशि**
164	1,871.17	1	2,998.05	6	1,149.36	159	3,719.86

प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखे की विवरणी संख्या 21 में उपलब्ध हैं।

31 मार्च 2021 को पी.डी. खातों की स्थिति इस प्रकार थीः

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2020 को आरंभिक शेष		**वर्ष 2020-21 के दौरान वृद्धि**		**वर्ष 2020-21 के दौरान बंद/निकासी**		**31 मार्च 2021 को अंतिम शेष**	
प्रशासकों की संख्या	**राशि**	**प्रशासकों की संख्या**	**राशि**	**प्रशासकों की संख्या**	**राशि**	**प्रशासकों की संख्या**	**राशि**
154	610.89	10	3,318.11	शून्य	2,057.83	164	1,871.17

(iv) असमायोजित सार आकस्मिकता (ए.सी.) बिलः

वित्तीय नियमों (केंद्रीय कोषालय नियमावली के नियम 290) के अनुसार सरकारी खजाने से कोई धन आहरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण के लिए इसकी आवश्यकता न हो। अप्रत्याशित परिस्थितियों में, आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) सार आकस्मिकता (ए.सी.) बिलों के माध्यम से धनराशि आहरित करने के लिए अधिकृत है। पंजाब कोषालय नियमावली (जो कि हरियाणा राज्य में लागू है)/वित्तीय नियम/वित्तीय संहिता/वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार, डी.डी.ओ. द्वारा उद्देश्य की पूर्ति (जिसके लिए अग्रिम आहरित किया गया था) की तिथि से एक महीने के भीतर अंतिम व्यय से संबंधित वाउचर युक्त विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिकता (डी.सी.सी.) बिल प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, आहरित ₹ 1,148.79 करोड़ के 2,716 ए.सी. बिलों में से, ₹ 82.02 करोड़ (7.14 *प्रतिशत*) की राशि के 455 ए.सी. बिल मार्च 2022 में आहरित किए गए। 31 मार्च 2022 तक ₹ 540.02 करोड़ की राशि के कुल 853 ए.सी. बिलों के डी.सी.सी. बिल प्राप्त नहीं हुए।

31 मार्च 2022 तक असमायोजित ए.सी. बिलों जिनके डी.सी.सी. बिल प्रस्तुत किए जाने है, का विवरण नीचे दिया गया हैः

वर्ष	असमायोजित ए.सी. बिलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2020-21 तक	393	147.34
2021-22	460	392.68
जोड़	**853**	**540.02**

पंजाब वित्तीय नियमावली खंड-1(हरियाणा राज्य) के पैरा 8.9 के अनुसार, नियंत्रक अधिकारियों को डी.सी.सी. बिलों को सीधे प्रधान महालेखाकार कार्यालय में प्रस्तुत करना होता है। परन्तु, डी.सी.सी. बिलों को, डी.डी.ओ. /कोषालय कार्यालयों के माध्यम से, मासिक/द्वि-मासिक लेखों के भाग के रूप में प्रस्तुत करने की वर्तमान प्रक्रिया पंजाब वित्तीय नियमों के अनुरूप नहीं है।

31 मार्च 2021 तक असमायोजित ए.सी. बिलों जिनके डी.सी.सी. बिल प्रस्तुत किए जाने थे, का विवरण निम्न प्रकार थाः

वर्ष	असमायोजित ए.सी. बिलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2019-20 तक	266	222.43
2020-21	453	549.65
जोड़	**719**	**772.08**

(v) सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) प्राप्त न होनाः

पंजाब कोषालय नियमावली (जो कि हरियाणा राज्य में लागू है) के नियम 8.14/वित्तीय नियमों/वित्तीय संहिता के अनुसार, अनुदान प्राप्त करने वाले अधिकारी को प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) अनुदान स्वीकृति के वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के 12 महीने के भीतर प्राधिकारी जिसने इसे स्वीकृत किया था, को प्रस्तुत करना चाहिए। यू.सी. प्रस्तुत न करने के कारण, इस बात का जोखिम बना रहता है कि वित्त लेखे में दर्शायी गई राशि लाभार्थियों तक ना पहुंची हो।

वर्ष 2021-22 के दौरान, 2020-21 तक के बकाया यू.सी. से संबंधित ₹ 1,519.00 करोड़ समाशोधित किए गए थे। 31 मार्च 2022 तक बकाया यू.सी. की स्थिति नीचे दी गई हैः

वर्ष *	बकाया यू. सी. की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2020-21 तक	2,181	13,031.78
**2021-22	650	5,269.24
जोड़	**2,831**	**18,301.02**

* उपरोक्त वर्णित वर्ष ''देय वर्ष'' अर्थात वास्तविक आहरण के वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के 12 माह के भीतर से संबंधित है ।

** वर्ष 2021-22 के दौरान वृद्धि।

यह वित्त लेखे की विवरणी 10 एवं परिशिष्ट III के संदर्भ में है।

31 मार्च 2021 तक बकाया यू.सी. की स्थिति निम्न प्रकार थीः

वर्ष *	बकाया यू. सी. की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2019-20 तक	1,720	8,129.50
**2020-21	722	6,421.28
जोड़	**2,442**	**14,550.78**

*उपरोक्त वर्णित वर्ष ''देय वर्ष'' अर्थात वास्तविक आहरण के वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के 12 माह के भीतर से संबंधित है ।
** वर्ष 2020-21 के दौरान वृद्धि।

(vi) ब्याज का समायोजनः

सरकार ञ- आरक्षित निधियां (क. ब्याज वाली आरक्षित निधियां) तथा ट- जमा तथा अग्रिम (क. ब्याज वाली जमा) के अंतर्गत पड़े शेषों पर ब्याज का भुगतान/समायोजन करने के लिए उत्तरदायी है तथा इस उद्देश्य के लिए, मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची में, विशिष्ट उप-मुख्य शीर्ष दिए गए हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान इन निधियों/जमाओं तथा सरकार द्वारा भुगतान किए गए ब्याज का विवरण नीचे दिया गया हैः

निधियां/जमा	1 अप्रैल, 2021 को शेष	ब्याज की गणना का आधार	देय ब्याज	भुगतान किया गया ब्याज	कम ब्याज भुगतान
सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	43.07	सरकार द्वारा अधिसूचित/सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज दर के अनुसार (7.10 *प्रतिशत*)	3.06	..	3.06
राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा	1,069.76	पर्यायवरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार (3.35 *प्रतिशत*)	35.84	..	35.84
खान एवं खनिज विकास, पुनर्स्थापन एवं पुनर्सुधार निधि	300.75	दिनांक 10 जुलाई 2015 की अधिसूचना की धारा 4.5 के अनुसार (6.0 *प्रतिशत*)	18.05	5.85	12.20
कुल			**56.95**	**5.85**	**51.10**

₹ 51.10 करोड़ के ब्याज का भुगतान न करने/कम भुगतान करने के परिणामस्वरूप राजस्व तथा राजकोषीय घाटे को ₹ 51.10 करोड़ कम बताया गया है।

यह वित्त लेखे की विवरणी 15, 21 तथा 22 के आंकड़ों के संदर्भ में है।

(vii) सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ :

हरियाणा सरकार द्वारा कोई गारंटी अधिनियम नहीं बनाया गया है।

वर्ष के दौरान, राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की संचयी राशि ₹ 24,342.56 करोड़ है। 1 अप्रैल 2022 तक ₹ 24,342.56 करोड़ की बकाया गारंटियाँ , वर्ष 2021-22 दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों (₹ 78,091.70 करोड़) का 31.17 *प्रतिशत* बनती हैं। हालाँकि, इस संबंध में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार को गारंटी शुल्क के रूप में ₹ 119.15 करोड़ प्राप्त हुए, जो कि 2021-22 के दौरान दी गई गारंटियों की राशि (₹ 7,525.84 करोड़) का 1.58 *प्रतिशत* था। गारंटियों से संबंधित निर्देशों के अनुसार, सरकार गारंटीकृत राशि का न्यूनतम एक या दो *प्रतिशत* गारंटी शुल्क के रूप में वसूल करेगी जो कि ₹ 189.96 करोड़ बनता है।

प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखे की विवरणी 9,14 तथा 20 में उपलब्ध हैं।

(viii) पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण पर व्ययः

राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण के प्रति किए गए व्यय को वित्त लेखों में विभिन्न कार्यात्मक लेखा शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष स्तर तक दर्शाया जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान, हरियाणा सरकार ने मुख्य शीर्ष 3435-पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण के अंतर्गत ₹ 7.05 करोड़ के बजट आवंटन (पुनर्विनियोग आदेशों को शामिल करने के पश्चात) के मुकाबले ₹ 7.05 करोड़ खर्च किए।

पिछले वर्ष 2020-21 के दौरान, हरियाणा सरकार ने मुख्य शीर्ष 3435 - परिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण के अंतर्गत ₹ 9.17 करोड़ के बजट आवंटन (पुनर्विनियोग आदेशों को शामिल करने के पश्चात) के मुकाबले ₹ 9.17 करोड़ खर्च किए।

यह वित्त लेखे की विवरणी 15 के संदर्भ में है।

(ix) राज्य सरकार द्वारा प्रदत ऋणः

नौ विभागों के ₹ 147.86 करोड़ के पुराने ऋणों [जिनके विस्तृत लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा नहीं रखे जाते] के मूलधन तथा ब्याज की वसूलियां पिछले कई वर्षों से नहीं की जा रही तथा ये ऋण 10 वर्षों से अधिक पुराने हैं।

सांविधिक निकायों/अन्य संस्थाओं (विवरण वित्त लेखे की विवरणी 18 के अतिरिक्त प्रकटीकरण में दिया है) को प्रदत ₹ 719.18 करोड़ के ऋणों के पुनर्भुगतान की नियम तथा शर्तों का निर्धारण नहीं किया गया है। परिणामतः इस संबंध में राज्य सरकार की प्राप्तियों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ऋण स्वीकृत करने वाले विभागों को वार्षिक रूप से, ऋण शेषों (जिनके विस्तृत लेखे प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा नहीं रखे जाते) को सत्यापन एवं स्वीकृति के लिए सूचित करता है। 22 ऋणियों में से किसी ने भी शेषों की पुष्टि नहीं की है। शेषों के मिलान हेतु विभागीय अधिकारियों से प्रतीक्षित सूचना का

विवरण वित्त लेखे के परिशिष्ट-VII में दिया गया है।

यह वित्त लेखे की विवरणी 7 तथा 18 के संदर्भ में है।

(x) प्रतिबद्ध देयताएं :

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा लेखांकन के प्रोद्भवन लेखांकन की ओर बढ़ने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। हालांकि, प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली में बदलनें के लिए परिवर्तन कई चरणों में होगा, इसीलिए, निर्णय लेने में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रोकड़ लेखांकन की वर्तमान प्रणाली में विवरण के रूप में कुछ अतिरिक्त जानकारी को जोड़ा जाना आवश्यक है। राज्य सरकार को प्रतिबद्ध देयताओं के बारे में जानकारी तैयार करनी होती है, परन्तु केवल तीन विभागों (सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग, खेल एवं युवा मामले विभाग तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) के द्वारा ही इसे प्रस्तुत किया गया है तथा इसे वित्त लेखे के परिशिष्ट-XII में दर्शाया गया है।

(xi) ब्लॉक अनुदानों को छोड़कर केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सी.एस.एस.)/अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ए.सी.ए.) का पुनर्गठनः

योजना/गैर-योजना वर्गीकरण के विलय के परिणामस्वरूप, जारी की गई केंद्रीय सहायता को अब केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय सहायता/हिस्से के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

31 मार्च 2022 तक केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत दर्ज किया गया कुल व्यय ₹ 15,030.21 करोड़ (राजस्व व्यय ₹ 13,378.46 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय ₹ 1,651.75 करोड़) है, जिसमें केंद्रीय सहायता एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्य का हिस्सा शामिल है (₹ 7,708.14 करोड़)।

यह वित्त लेखे की विवरणी 15 तथा 16 के संदर्भ में है।

(xii) राज्य में क्रियान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (राज्य बजट से बाहर दी गई निधियाँ) :

लेखा महानियंत्रक के पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य में क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा सीधे ₹ 7,674.98 करोड़ प्राप्त किए। वर्ष 2021-22 के दौरान, केंद्र सरकार द्वारा राज्य को हस्तांतरित कुल राशि ₹ 7,451.69 करोड़ थी। मध्यस्थों (जैसे गैर सरकारी संगठनों, समितियों इत्यादि) को कितनी राशि हस्तांतरित की गई थी तथा कितनी सीधे लाभार्थियों को दी गई थी, इसका विवरण राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया।

वर्ष 2021-22 में, 2020-21 की तुलना में क्रियान्वयन एजेंसियों को निधि के प्रत्यक्ष हस्तांतरण में 4.68 *प्रतिशत* (2020-21 के ₹ 7,118.68 करोड़ से ₹ 7,451.69 करोड़) की वृद्धि हुई है। विवरण वित्त लेखे के परिशिष्ट-VI में हैं।

(xiii) राज्य सरकार की बजट से बाहर की देयताएं :

राज्य सरकार ने अपने वार्षिक बजट में लेखाओं में दर्शायी गयी देयताओं अर्थात विवरणी संख्या 9 तथा 20 के अनुसार ₹ 24,342.56 करोड़, के अतिरिक्त बजट से बाहर की देयताओं का खुलासा नहीं किया है। राज्य द्वारा दर्शायी बजट से बाहर की देयताओं के बारे में जानकारी मांगी गई थी परन्तु यह प्राप्त नहीं हुई।

(xiv) एकल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.) के बैंक खाते में पड़ी अव्ययित राशि :

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधियां, राज्य सरकार द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंधित है तथा इन्हें इनकी प्राप्ति के 21 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित एस.एन.ए. के खाते में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक था।

31 मार्च 2022 तक, एस.एन.ए. खातों में अव्ययित राशि का ब्यौंरा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया।

4. आकस्मिकता निधिः

हरियाणा आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1966 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, इस में धन के भुगतान तथा इससे धन की निकासी से संबंधित या सहायक सभी मामलों को विनियमित करने के लिए हरियाणा आकस्मिकता निधि नियम, 1967 बनाऐ हैं। हरियाणा राज्य की आकस्मिकता निधि का कोष ₹ 1,000.00 करोड़ है। 2021-22 के अंत में, विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत किसी भी राशि की प्रतिपूर्ति बकाया नहीं थी।

31 मार्च 2022 को, आकस्मिकता निधि में ₹ 1,000.00 करोड़ का शेष था।

प्रासांगिक आंकड़े वित्त लेखे की विवरणी 1,2, तथा 21 में उपलब्ध हैं।

5. लोक लेखाः

(i) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) :

वर्ष 2021-22 के दौरान, एन.पी.एस. जो कि एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है, में कुल योगदान ₹ 1,815.01 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान ₹ 875.35 करोड़ तथा सरकार का अंशदान ₹ 939.66 करोड़) था। सरकारी अंशदान की विस्तृत जानकारी वित्त लेखे की विवरणी संख्या 15 में उपलब्ध है। सरकार ने लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8342-117 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत ₹ 1,839.41 करोड़ हस्तांतरित किए।

(ii) (अ) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ :

(क) राज्य आपदा राहत निधि (एस.डी.आर.एफ.) :

राज्य आपदा राहत निधि (मुख्य शीर्ष-'8121 सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों' के अंतर्गत जो कि ब्याज वाले

अनुभाग के अंतर्गत हैं) के गठन तथा संचालन पर दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय व राज्य सरकारों को निधि में 75:25 के अनुपातानुसार अंशदान देना आवश्यक है। वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार के हिस्से के रूप में ₹ 392.80 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 130.93 करोड़ का है। राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 8121-122 एस.डी.आर.एफ. के अंतर्गत निधि में ₹ 800.30 करोड़ (केन्द्रीय भाग ₹ 392.80 करोड़, राज्य का हिस्सा ₹ 130.93 करोड़, ब्याज ₹ 233.57 करोड़ तथा विभागीय अधिकारियों के पास अव्ययित पड़े ₹ 43.00 करोड़) की राशि हस्तान्तरित की गई। केंद्रीय सरकार से राज्य को एन.डी.आर.एफ. के लिए कोई राशि नहीं मिली।

(ख) राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि :

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों के अनुपालन में, राज्य सरकारों को क्षतिपूरक वनीकरण करने के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त धन राशियों के लिए, राज्य के लोक लेखा में ब्याज वाली अनुभाग के अंतर्गत राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि स्थापित करना आवश्यक है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार को न तो उपयोगकर्ता एजेंसियों से कोई राशि (पिछले वर्ष में भी शून्य) प्राप्त हुई और न ही इसने राष्ट्रीय निधि को कोई राशि (पिछले वर्ष में भी शून्य) प्रेषित की। सरकार को राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण जमा से भी कोई राशि (पिछले वर्ष में भी शून्य) प्राप्त नहीं हुई। 31 मार्च 2022 को राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि में कुल शेष राशि ₹ 934.67 करोड़ थी।

(ब) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ :

(क) समेकित निक्षेप निधिः

हरियाणा सरकार ने 2002 में ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित निक्षेप निधि की स्थापना की। निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य गत वर्ष के अंत में अपनी बकाया देयताओं (आंतरिक ऋण तथा लोक लेखा) का न्यूनतम 0.5 *प्रतिशत* अंशदान समेकित निक्षेप निधि में कर सकते हैं। वर्ष 2021-22 में, सरकार ने निधि को किए जाने वाले ₹ 1,186.04 करोड़ के अंशदान के मुकाबले केवल ₹ 500.00 करोड़ का अंशदान दिया। 31 मार्च 2022 को निधि का कुल अधिशेष ₹ 1,286.08 करोड़ था (31 मार्च 2021 तक ₹ 719.39 करोड़)। निधि में ₹ 686.04 करोड़ के कम अंशदान का प्रभाव जिसके परिणामस्वरूप राजस्व व्यय कम बताया गया, पैरा 6 के अंतर्गत दर्शाया गया है।

(ख) गारंटी मोचन निधिः

राज्य सरकार ने आर.बी.आई. के संचालन में गारंटी मोचन निधि का गठन किया था। वर्ष 2020-21 से प्रभावी, राज्य सरकार द्वारा जारी निधि अधिसूचना के नवीनतम संशोधन के अनुसार राज्य सरकार, शुरू में गत वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों का न्यूनतम एक *प्रतिशत* तथा उसके बाद 0.5 *प्रतिशत* की दर से अंशदान करेगी ताकि अगले पाँच वर्षों में न्यूनतम तीन *प्रतिशत* के बराबर निधि उपलब्ध हो सके। निधि को धीरे-धीरे पाँच *प्रतिशत* के वांछनीय स्तर तक बढ़ाया जाएगा। वर्ष के दौरान, सरकार ने निधि को किए जाने वाले ₹ 115.27 करोड़ के

अंशदान के मुकाबले कोई अंशदान नहीं दिया। 31 मार्च 2022 को निधि का कुल अधिशेष ₹ 1,428.51 करोड़ था (31 मार्च 2021 तक ₹ 1,323.13 करोड़)।

निधि में लेनदेनों को वित्त लेखे की विवरणी 21 तथा 22 में दर्शाया गया है।

(iii) उचंत एवं प्रेषण शेषः

वित्त लेखे उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। 31 मार्च 2022 को, विभिन्न शीर्षों के अधीन पृथक से लंबित नामे एवं जमा शेषों को जोड़ते हुए, इन शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष, दो शीर्षों (8658 तथा 8782) के अंतर्गत ₹ 575.05 करोड़ (जमा) था [31 मार्च 2021 तक ₹ 306.34 करोड़ (जमा)] ।

इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों का समाशोधन न होना राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्ति/व्यय के आंकडों तथा शेषों (जिन्हें वर्ष दर वर्ष आगे ले जाया जाता है) की सार्थकता को प्रभावित करता है।

(iv) चेक एवं बिलः

मुख्य शीर्ष 8670 चेक एवं बिल के अंतर्गत जमा राशि, जारी किए गए चेकों जिनका रोकड़ अभी आना है, को इंगित करता है। 01 अप्रैल 2021 को आरंभिक शेष ₹ 0.05 करोड़ (जमा) था। वर्ष 2021-22 के दौरान, कोई चेक जारी नहीं किया गया, जिससे 31 मार्च 2022 को ₹ 0.05 करोड़ (जमा) का समापन शेष रह गया। समापन शेष विभिन्न वित्तीय वर्षों में विभिन्न कार्यात्मक मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मूल रूप से दर्ज किए गए व्यय का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके परिणामस्वरूप हरियाणा सरकार से 31 मार्च 2022 तक कोई भी रोकड़ बहिर्वाह नहीं हुआ है।

(v) प्रतिकूल शेषः

वर्ष के दौरान लेखे में कोई प्रतिकूल शेष नहीं दिखाई दिया।

(vi) रोकड़ शेषः

31 मार्च 2022 तक, महालेखाकार के रिकार्ड के अनुसार, रोकड़ शेष ₹ 371.24 करोड़ (जमा) था तथा आर.बी.आई. ने इसे ₹ 107.79 करोड़ (नामें) सूचित किया था। ₹ 263.45 करोड़ (जमा) का निवल अंतर, मुख्यतः बैंकों तथा कोषालयों के द्वारा किए गए गलत वर्गीकरण के कारण था। हालांकि, जुलाई 2022 के अन्त में, ₹ 267.03 करोड़ (जमा) लंबित रहे। अंतर का मिलान किया जा रहा है।

प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखे की विवरणी संख्या 21 में उपलब्ध हैं।

पिछले वर्ष 31 मार्च तक, महालेखाकार के रिकार्ड के अनुसार, रोकड़ शेष ₹ 463.47 करोड़ (जमा) था तथा आर.बी.आई. ने इसे ₹ 375.01 करोड़ (नामें) सूचित किया था। ₹ 88.46 करोड़ (जमा) का निवल अंतर, मुख्यतः एजेंसी बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित लेनदेनों के त्रुटिपूरण प्रतिवेदन के कारण था।

6. **राजस्व व्यय पर प्रभावः**

राज्य के वित्त पर, सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन न होने के कारण, पूर्ववर्ती पैरों में वर्णित मदों का राजस्व व्यय पर प्रभाव, निम्न तालिका में दिया गया हैः

पैरा संख्या	**मद (उदाहरण)**	**राजस्व व्यय अधिक बताना (₹ करोड़ में)**	**राजस्व व्यय कम बताना (₹ करोड़ में)**
3(vi)	राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि के शेषों पर ब्याज समायोजित न करना	..	35.84
3(vi)	खान एवं खनिज विकास, पुनर्स्थापन एवं पुनर्सुधार निधि के शेषों पर ब्याज का कम समायोजन	..	12.20
3(vi)	सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में ब्याज का भुगतान न करना	..	3.06
5(ii) (ब) (क)	समेकित निक्षेप निधि में कम अंशदान	..	686.04
कुल (निवल) प्रभाव	**कम बताना**	**..**	**737.14**

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2022

www.cag.gov.in

www.aghry.gov.in